इंड छवि

अंक : 18, अक्टूबर - दिसम्बर 2019

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ऋण विशेषांक

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हमारी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया शपथ ग्रहण करते हुए।

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शपथ ग्रहण करते हुए इंडियन बैंक के कार्यपालकगण।

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय :
राजभाषा विभाग,
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै – 600 014
वेबसाइट : www.indianbank.co.in
ई-मेल : hoolc@indianbank.co.in

मुख्य संरक्षक
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
श्री एम के भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक
श्री वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक
श्री पी.सी. दाश
महाप्रबंधक (मासंप्र / राभा)

मुख्य संपादक
डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राभा)

संपादक
श्री अजय कुमार
मुख्य प्रबंधक (राभा)

सह - संपादक
श्री श्याम कुमार दास
सहायक प्रबंधक (राभा)

संपादन सहयोग
श्री एस तिरुवल्लुवन, वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)
श्री ओम प्रकाश वर्मा, प्रबंधक (राभा)
श्री कुलवेन्द्र सिंह, प्रबंधक (राभा)
श्री चन्दन कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक (राभा)
सुश्री श्वेता गंगिरेड्डी, सहायक प्रबंधक (राभा)

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं में व्यक्त विचार, लेखकों के अपने हैं। इंडियन बैंक का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं के लेखकों एवं रचनाकारों से मौलिकता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अनुक्रमणिका

संदेश

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश — 2
- कार्यपालक निदेशकों का संदेश — 3 - 4
- महाप्रबंधक का संदेश — 5
- सहायक महाप्रबंधक का संदेश — 6

लेख

अंक विशेष

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग: विस्तृत परिचय — 7
- भारत के विकास में एमएसएमई ऋणों की भूमिका — 9
- नए उद्योगों के निर्माण में एमएसएमई ऋण की भूमिका — 16
- एमएसएमई भारत के सर्वांगीण विकास की मजबूत आधारशिला — 18
- एमएसएमई क्षेत्र में बैंकों की भूमिका — 20
- एमएसएमईडी अधिनियम - व्यापक प्रभाव वाला कानून — 29
- एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी समस्याएँ एवं समाधान — 38
- महिलाओं के आर्थिक उत्थान में एमएसएमई ऋणों का महत्व — 43

अन्य लेख

- ईमानदारी – एक जीवन शैली — 12

राजभाषा : प्रेरणा एवं प्रोत्साहन

- राजभाषा हिन्दी का सरलीकरण — 24

काव्य-वीथि

- राष्ट्रभाषा की व्यथा — 11
- सपने होते हैं परछाई से — 17

महान विभूतियाँ

- शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय — 40

पर्यटन

- ईश्वर का अपना देश – 'केरल' बाढ़ से प्रभावित — 35

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय साथियो,

गृह पत्रिका 'इंड छवि' के माध्यम से आप सभी सुधी पाठकों को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। पत्रिकाएँ आम तौर पर सम्प्रेषण की भूमिका निभाती हैं, जिसमें प्रकाशित होने वाले लेख/कविताएँ तथा गतिविधियों से संस्था को एक अलग पहचान मिलती है, एक दिशा मिलती है।

हमेशा की तरह 'इंड छवि' पत्रिका के इस अंक में नए विषयों एवं विचारों को समाहित कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 'इंड छवि' पत्रिका का यह अंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की थीम पर आधारित है, जोकि वर्तमान बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण घटक है।

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों अर्थात माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विकासशील एवं विकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के औद्योगिक विकास में इन उद्यमों का योगदान रेखांकित किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विश्व बाजार में अपने देश और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जब बात राष्ट्र के आर्थिक विकास की हो या फिर विश्व बाजार में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की हो, ऐसी स्थिति में बैंकों का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करके हम उनके विकास में ही नहीं, अपितु अपने देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। बैंकों के समामेलन के इस दौर में अच्छी गुणवत्ता वाले ऋण खातों को बनाए रखने एवं नए उत्तम ग्राहकों विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक अपनी पहुँच बनाने का सफर और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

हमारा बैंक एमएसएमई क्षेत्र के विकास में निरंतर अपनी सेवाओं एवं उत्पादों के माध्यम से अपना योगदान देता रहा है। निकट भविष्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संभावनाओं को देखते हुए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वे सम्पूर्ण निष्ठा से न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बल्कि राष्ट्र के समावेशी आर्थिक विकास के लिए भी कार्य करें।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ................

पद्मजा चुन्डूरू

पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक का संदेश

मेरे प्रिय साथियो,

हमारी राजभाषा पत्रिका, इंड छवि अपने प्रत्येक अंक के साथ कुछ नया, लीक से हटकर प्रस्तुत करने के लिए सतत प्रयासरत रही है। शायद, इसी कारण से यह पत्रिका आपके मध्य इतनी लोकप्रिय रही है। इस पत्रिका के माध्यम से आप सभी से जुड़ना मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आनंद प्रदान करता है।

साथियो, अपने प्रत्येक अंक में हम हिन्दी पर विशेष ज़ोर देते आए हैं और हमारा चरम लक्ष्य है अपना काम अपने देश की भाषा हिन्दी में करना। हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग से प्राप्त निदेशों का पालन करना हमारा दायित्व है। हिन्दी भाषा में जनसामान्य सुगमता अनुभव करता है और यह भारत के विस्तृत भूभाग पर बोली – समझी जाती है। हमें अपने राष्ट्रपिता के बताए गए मार्ग को अपनाते हुए हिन्दी का अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग करना है। गांधी जी ने कहा है :

"राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।"

साथियो, इंड छवि के इस अंक को "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विशेषांक" के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। हमारे ऋण पोर्टफोलियो में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का विशेष महत्व है और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु ऋणों का विशेष महत्व है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु ऋण बहुद्देशीय ऋण हैं। नए उद्यमियों को नए व्यवसाय, कारोबार एवं कल-कारखाने लगाने के लिए व उनकी कारोबारी इकाइयों को बढ़ाने के लिए की गई वित्तीय सहायता बैंक, समाज और देश सभी का विकास करती है। रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं, जिससे प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होती है। देश के संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु ऋण समाज के उस वर्ग को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिसके पास अत्यंत सीमित संसाधन हैं। इस प्रकार बैंक अपने कारोबार में वृद्धि के साथ-साथ ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। मुझे पूर्ण आशा है कि हम आगामी तिमाही में अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु ऋणों के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी लोग पत्रिका के लिए अपने लेख, कविताएं इत्यादि भेजते रहिए ताकि अन्य स्टाफ सदस्य भी आपके अनुभव, जानकारी एवं नवोन्मेषी विचारों का लाभ उठा सकें।

नव वर्ष,2020 की हार्दिक शुभकामनाएँ,

एम के भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक का संदेश

इंडियन बैंक के प्रिय सदस्यो,

मुझे आपके साथ संवाद करने और हमारे हिंदी गृह-पत्रिका 'इंड छवि' के माध्यम से अपने विचार रखने का सौभाग्य मिला है। इंड छवि का यह अंक हम "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)" विशेषांक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।।

भाषा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और कारोबार के विकास में इसका अपना महत्व है। किसी भाषा में पारंगत होने पर, इससे कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलती है। आप जितनी अधिक भाषाएँ जानते हैं, उनसे न केवल कारोबार के विस्तार में बल्कि बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ अच्छे संबंध विकसित करने में सहायता मिलती है। भारत विविधताओं का देश है और यहां अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। इन सभी भाषाओं को सीखना सभी के लिए न तो संभव है और न ही व्यावहारिक। हालाँकि, हिंदी भाषा हमारी लगभग 60% आबादी द्वारा बोली जाती है और इसे अपनी दैनिक गतिविधियों में संचार की भाषा के रूप में उपयोग करते हुए, हम ग्राहकों के बड़े स्पेक्ट्रम तक पहुँच सकते हैं। मैं एक बार फिर अपने सहयोगियों से अपने कार्यों को हिंदी में करने की अपील करता हूं।

देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश की तरक्की में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और व्यापक रूप से धन वितरण की ओर ले जाते हैं। बढ़ती हुई क्रय शक्ति के दृष्टिकोण से, जिसके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न क्षेत्रों का विकास होता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ हमें अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

एमएसएमई में न केवल अग्रिमों का आकार छोटा होता है, बल्कि हमारे अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिभूतियां भी उपलब्ध हैं। पात्र मामलों में गारंटी कवर, किसी भी कारण से खाता एनपीए होने के मामले में नुकसान को कम करता है। विभिन्न सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण शक्ति विभाग के पास होगी क्योंकि एमएसएमई प्रतिवर्तनकाल में अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय पर धन की उपलब्धता की अपेक्षा करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को निधि प्रदान करने से क्रॉस सेल के विभिन्न अवसर मिलते हैं। बैंक प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत बचत बैंक खाते खोल सकते हैं, डेबिट / क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, सामान्य / जीवन बीमा पॉलिसियां प्रदान सकते हैं, भुगतान विकल्प के रूप में उपलब्ध नेट / मोबाइल बैंकिंग सुविधा, खुदरा ऋण (गृह/वाहन/एलएपी) इत्यादि प्रदान करा सकते हैं।

चूंकि यह सभी हितधारकों के लिए फायदे की स्थिति होगी, मुझे आशा है कि प्रत्येक कर्मचारी प्रति माह कम से कम 4 नए एमएसएमई ग्राहकों को हमारे दायरे में लाने के लिए ध्यान देंगे।

आपको और आपके परिवार के सदस्यों को नव वर्ष 2020 में सुख-समृद्धि प्राप्त हो।

शुभकामनाओं सहित...

वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

महाप्रबंधक का संदेश

प्रिय साथियो,

आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ!

हमारे बैंक की हिन्दी पत्रिका 'इंड छवि' के 18वें अंक के माध्यम से एक बार पुनः मुझे आप सबसे संपर्क करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी पिछली तिमाही में इंडियन बैंक का निष्पादन प्रशंसनीय रहा है। हमारे उत्तम निष्पादन हेतु किए गए प्रयासों के लिए हमारे सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। हमारे बैंक ने कई प्रमुख क्षेत्रों/मापदंडों में उपलब्धियां प्राप्त की हैं और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। भारत सरकार के निदेशानुसार इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समामेलन हो रहा है। इस समामेलन की दृष्टि से मानव संसाधन विभाग एवं राजभाषा विभाग का दायित्व काफी अहम है। दोनों बैंकों के कर्मचारियों एवं हिन्दी भाषा से जुड़े ग्राहकों को एक साथ लेकर चलना काफी चुनौतीपूर्ण है। हमें विश्वास है कि हमारे कुशल स्टाफ सदस्य इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सहज रूप से पूर्ण कर पाएंगे एवं यह एक सफल समामेलन सिद्ध होगा।

'इंड छवि' का यह अंक 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों'(MSME) की थीम पर आधारित है जो बैंकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) का महत्व निर्विवाद है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के विकास के लिए समय पर उचित ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास के लिए ऋणों की आवश्यकता को देखते हुए बैंकों की भूमिका अहम हो जाती है। आज आवश्यकता यह है कि बदलते परिवेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के सम्पूर्ण दायरे को ध्यान में रखा जाये। वर्तमान समय की आवश्यकता यह है कि इस क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए जिसमें ग्रामीण एवं सूक्ष्म उद्योगों पर विशेष बल हो, जिसमें चुनौतियों को विशेष अवसर में बदलने तथा नई ऊंचाईयां प्राप्त करने के उपयुक्त उपाय हों।

बैंक की प्रगति, जनसेवा एवं लोकोपयोगी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंडियन बैंक, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्र 'क','ख' एवं 'ग' में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए, इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सफल हुआ है। इस प्रकार हमारे बैंक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं।

इन दो मानदण्डों का हमारे बैंक की लाभप्रदता एवं उसके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बैंक द्वारा सभी क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मिल-जुलकर कार्य करें।

शुभकामनाओं सहित,

परेश चन्द्र दाश

परेश चन्द्र दाश
महाप्रबंधक (मासंप्र/ राभा)

सहायक महाप्रबंधक का संदेश

प्रिय साथियो,

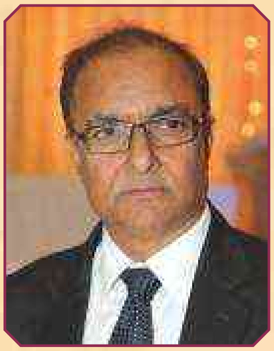

मुझे प्रसन्नता है कि हमारी गृह पत्रिका 'इंड छवि' के माध्यम से आप सभी से संपर्क करने का अवसर मुझे मिलता रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 'इंड छवि" का यह अंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) पर आधारित है। 'इंड छवि' न केवल हमारे बैंक के कर्मचारियों की रचनात्मक क्षमता को नयी पहचान प्रदान करने का प्रयास करती रही है बल्कि यह सभी स्टाफ सदस्यों को बैंकिंग से जुड़ी विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रदान करती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विश्व भर में विकास के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में जाना जाता है। देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। देश में 63 मिलियन से भी अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। अभी तक निर्यात में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का अंशदान 47% है। सरकार का प्रयास है कि इसे 60% तक ले जाया जाये। इसकी प्रबल संभावना भी है क्योंकि औद्योगिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का योगदान केवल 29% ही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कुल उत्पादन में तमिलनाडु का हिस्सा 40% है जो सभी राज्यों में सर्वोपरि है।

उधर केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा में परिवर्तन पर विचार कर रही है। वर्ष 2006 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निवेश राशि की सीमा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता रहा है। अब इसे कुल कारोबार के आधार पर वर्गीकृत करने पर विचार किया जा रहा है। रु. 5 करोड़ तक के कुल कारोबार वाली इकाइयों को सूक्ष्म उद्यम के तहत, रु. 5 करोड़ से अधिक और रु. 75 करोड़ तक के कुल कारोबार वाली इकाइयों को लघु उद्यम के तहत तथा रु. 75 करोड़ से अधिक और रु. 250 करोड़ तक के कुल कारोबार वाली इकाइयों को मध्यम उद्यम के तहत वर्गीकृत किया जायेगा। इस तरह के वर्गीकरण से अति सूक्ष्म इकाइयों और बृहद लघु उद्योगों को लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बैंकों के ऋण देने के तरीके पर बहुत अधिक असर नहीं होगा क्योंकि वे पहले से ही कुल कारोबार और तुलन पत्र को ध्यान में रखकर ऋण देते रहे हैं।

"इंड छवि" के माध्यम से आपसे मेरा यह अंतिम साक्षात्कार है। कारण कि मैं 32 वर्षों की समर्पित सेवा के पश्चात् 31 जनवरी 2020 को सेवा निवृत्त हो रहा हूँ। इस दौरान जहाँ मुझे अपने उच्च अधिकारियों से गतिशील नेतृत्व और सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण मिला वहीं अपने सहयोगियों से भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ। मैं सभी के प्रति हृदय से आभारी हूँ।

वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राभा)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग : विस्तृत परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास बिल- 2005 (जोकि 12 मई, 2005 को संसद में प्रस्तुत किया गया था) को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई और इस प्रकार एक अधिनियम बन गया। इस अधिनियम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के रूप में नामित किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के बाद लघु उद्योग को अब अधिक व्यापक रूप में छोटे, लघु और मझौले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र ने आर्थिक मंदी के समय भारत की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाया था। कुल मिलाकर यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी भूमिका निभा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की उचित जानकारी आवश्यक हो जाती है। मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का आवश्यक और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भारतीय एमएसएमई की भागीदारी के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है। इससे इस क्षेत्र में न सिर्फ निर्यात को बढ़ावा मिला है, बल्कि एमएसएमई को नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन कार्य प्रणालियों को समझने में भी सहायता मिली है। मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 'अंतर्राष्ट्रीय एसएमई विकास' पर एक समर्पित वेब पोर्टल का संचालन किया जा रहा है, जो 28 देशों के एसएमई के बीच सूचना और निरंतर सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा		
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
सूक्ष्म उद्योग	सालाना टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम	सालाना टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम
लघु उद्योग	सालाना टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच	सालाना टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच
मध्यम उद्योग	सालाना टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच	सालाना टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नए उत्पादों, नई प्रक्रियाओं और नई सेवाओं के निर्माण के संदर्भ में एमएसएमई में निरंतर नवाचार प्रोत्साहन के लिए कई उपाय कर चुका है। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम - 2006 की नई परिभाषा 7 अप्रैल, 2018 से लागू है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इस परिवर्तन के बाद अब "प्लांट और मशीनरी" में निवेश की जगह "टर्नओवर" के आधार पर एमएसएमई वर्गीकरण किया जाता है जो उपर्युक्त तालिकानुसार है।

वैश्वीकरण के इस दौर में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू बाजार के प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एमएसएमई के लिए

भारत सरकार नई कार्य प्रणालियों को अपनाकर आज उद्यमी को अतिरिक्त निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए लघु उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करने के क्रम में, मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट (सीजीएफटीएमसीई) के माध्यम से प्रौद्योगिक उन्नयन के लिए निवेश पर पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है। योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए भुगतान न हो पाने की स्थिति में ऋण की सुविधा के लिए धनराशि का गारंटी को 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय की निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना आंतरिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए लघु उद्यमों को

सशक्त बनाने की दिशा में एक अनूठा तरीका है। इस योजना के अंतर्गत, एमएसएमई का एक तीसरे पक्ष के तौर पर एक राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर 7 5 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस रेटिंग से इकाइयों को अपनी ऋण साख बनाने जैसे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जो शीघ्र और सस्ता ऋण प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं। यह उनकी निष्पादन क्षमता को भी प्रमाणित करती है, जिससे उन्हें विदेशी अथवा अन्य थोक खरीदारों से खरीद ऑर्डर मिलने में सहायता मिलती है। यह उद्यमी को इकाई की मजबूती और कमजोरियों के विश्लेषण में भी मदद करती है और उसे अपने परिचालन निष्पादन में सुधार लाने हेतु परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

हमारे इंडियन बैंक ने भी एमएसएमई के अंतर्गत कई ऋण उत्पादों को ऋण प्रदान किया है तथा ऐसी व्यवस्था की है जिससे एमएसएमई के अंतर्गत आसानी से ऋण लिया जा सकता है। इसी क्रम में पीएसबी 59 मिनट ऋण योजना जोकि केंद्र सरकार द्वारा चलायी गई है जो जरुरतमंदों को ऑनलाइन आवेदन करने के सिर्फ 59 मिनट के अंदर यह जानकारी हासिल हो जाती है कि वे ऋण के लिय योग्य हैं या नहीं इससे भी बढ़कर यह कि यदि वे ऋण के लिए पात्र हैं तो कितनी राशि के ऋण हेतु तथा क्या-क्या दस्तावेज उन्हें बैंक के नजदीकी कार्यालय में कब प्रस्तुत करना होगा। पीएसबी 59 मिनट ऋण योजना वास्तविक रूप में ग्राहक के लिए तथा साथ-ही-साथ बैंकों के लिए बैंकिंग जगत में एक वरदान साबित हुआ है।

आज भारत में एमएसएमई के फलीभूत होने के कई कारण हैं। एमएसएमई उद्योग ने लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया है। हमारे देश के निर्यात में लगभग 45% की हिस्सेदारी करती है। एसएमई वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए आसानी से सकल घरेलू उत्पाद में 22% योगदान दे सकते हैं। भारतीय एसएमई हमेशा औद्योगिक और संबंधित

क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों, नए व्यापारिक विचारों को स्वीकार करने और स्वचालन प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह उद्योग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया गया है, परिणाम स्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों/श्रमिक वर्गों का पलायन कम हुआ है। इस उद्योग के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब रोजगार उपलब्ध हुआ है। लोग रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं तथा रोजगार ढूंढने की जगह रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा अथक प्रयास के बावजूद भी एमएसएमई उद्योग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कार्यशील पूंजी की कमी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उत्पादन का छोटा पैमाना, पुरानी तकनीक का इस्तेमाल, आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएं आदि ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी अपना सर उठाए खड़ी है।

पिछले कई सालों में अर्थव्यवस्था में जिस रफ़्तार से बदलाव हुए हैं। इस बदलाव से अनेक कंपनियाँ आज एमएसएमई से बाहर हो गयी हैं। अब हमें चाहिए कि बदलती अर्थव्यवस्था के साथ ही उसी रफ़्तार से हम अपनी नीति को भी परिवर्तित करते रहें ताकि एमएसएमई से बाहर हुई कंपनियों को शामिल किया जा सके तथा गैर निष्पादित आस्तियों से बचा जा सके। हम एमएसएमई के दायरे को भी बढ़ा सकते हैं जिससे इसमें कार्यरत उद्यमी को लाभ मिल सके और वे हमारे साथ तथा एमएसएमई के साथ बने रहें।

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)
अंचल कार्यालय, मदुरै

भारत के विकास में एमएसएमई ऋणों की भूमिका

दुनिया की हर एक अर्थव्यस्था में सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की खास भूमिका होती है। ये बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करते हैं। आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं। इनोवेशन को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में भी यह सेगमेंट बहुत बड़ा है। इसमें 6.30 करोड़ से ज्यादा यूनिटें शामिल हैं। इन यूनिटों में करीब 11.10 करोड़ लोग काम करते हैं। देश की जीडीपी में भी एमएसएमई का काफी योगदान है इसमें सेगमेंट की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है। कुल मिलाकर कहें तो एमएसएमई अर्थव्यवस्था के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है। इस सेक्टर को प्रोत्साहित कर भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। एमएसएमई के समक्ष अब भी कई चुनौतियाँ हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्हें आसानी से कर्ज उपलब्ध नहीं है। पैसे की कमी उद्यमियों के पांव में जंजीरे डालती है। कई बार तो उद्योग चलाने वालों को लोन लेने के तरीकों के बारे में भी नहीं पता होता है। इसके चलते लोन के आवेदन मंजूर नहीं हो पाते हैं। वित्तीय संस्थानों की कर्ज बांटने की रफ्तार सुस्त पड़ती है।

भारत में बैंकिंग की उत्पत्ति का पता 17 वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से चलता है। जनरल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1786 में शुरू हुए थे, भारत के पहले बैंक थे। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीकृत निकाय के रूप में कार्य करता है जो सिस्टम की किसी भी विसंगतियों और कमियों की निगरानी करता है। केंद्र सरकार ने 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के साथ बैंकिंग व्यवसाय में प्रवेश किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 60 प्रतिशत हिस्सेदारी ली गई और नए बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। सात अन्य राज्य बैंक 19 जुलाई 1960 को राष्ट्रीयकृत होने पर नए बैंक के सहायक बने। बैंकों का अगला बड़ा राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ जब भारत सरकार ने अतिरिक्त 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल जमा राशि 50 करोड़ थी। इस कदम ने भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की उपस्थिति में वृद्धि की, जिसकी कुल शाखाओं का 84 प्रतिशत सरकारी नियंत्रण में था। राष्ट्रीयकरण का अगला दौर अप्रैल 1980 में हुआ। सरकार ने छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इन बैंकों की कुल जमा राशि लगभग 200 करोड़ थी। इस कदम से बाजार में शाखाओं की संख्या में और वृद्धि हुई, जो देश के कुल शाखा नेटवर्क का 91 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीयकरण के पीछे का उद्देश्य कुछ व्यवसायिक परिवारों द्वारा बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण को अलग करना है, धन और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकना, देश के सभी हिस्सों से बड़े पैमाने पर बचत जुटाना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना। PSB के पास जनता के लिए उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं की पूर्व-कल्पित टोकरी थी और वे सामाजिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में स्थापित और काम कर रहे थे और मध्यम, लघु उद्योग (MSME) क्षेत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत में PSB ने 22.44 प्रतिशत ऋण वृद्धि हासिल की, जो कि MSME क्रेडिट में 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 20 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में 4,46,000 करोड़ रुपये से अधिक के मजबूत कृषि ऋण के साथ हुआ। मार्च 2018 तक MSME क्षेत्र में माइक्रो एंटरप्राइजेज को बकाया क्रेडिट का एमएसएमई सेक्टर का बकाया हिस्सा 46.80 प्रतिशत था, जो मार्च 2018 में 50.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले मामूली घटकर 46.24 प्रतिशत हो गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित नीति पैकेज के आधार पर, रिज़र्व बैंक द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुछ प्रमुख निर्देश जारी किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे एसएमई को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के लक्ष्यों को निर्धारित करें। इसका उद्देश्य रुपये से ऋण के प्रवाह को दोगुना करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे उद्यम की क्रेडिट रेटिंग से जुड़े होने के साथ पारदर्शी रेटिंग प्रणाली का पालन करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक अपने प्रत्येक अर्ध-शहरी / शहरी क्षेत्र में कम से कम 5 नए लघु / मध्यम उद्यमों को क्रेडिट कवर प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास कर सकते हैं। बैंक पहचान किए गए समूहों / केंद्रों में विशेष एसएमई शाखाओं को छोटे उद्यमों के प्रसार के साथ सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि उद्यमियों को बैंक क्रेडिट तक आसान पहुंच मिल सके। हाल के दिनों में, सार्वजनिक क्षेत्र के

बैंकों ने केवल छोटे उद्यमियों को वित्त का विस्तार करने के लिए खुद को सीमित नहीं किया है, बल्कि उनके विकास के लिए वास्तविक चिंता दिखाई है। वे अब अपनी नई भूमिका में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नए लघु-स्तरीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक और चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार किया है। वे अब उद्यमशील विकास कार्यक्रम (EDP), जैसे कि जिला औद्योगिक केंद्र (DIC), तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (TIIC) आदि के साथ मिलकर, उद्यमियों की पहचान करने के उद्देश्य से, विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण और नए उपक्रम शुरू करने के लिए उनकी निगरानी करना। भारत में एमएसएमई के वित्तपोषण में बैंक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। बैंकों के माध्यम से कुल एसएमई वित्तपोषण का लगभग 82 प्रतिशत। इसके अलावा, उनमें से प्रमुख हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है यानी 57 प्रतिशत। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एसएमई के लिए वित्त का सबसे आम स्रोत बैंक वित्त पोषण है। वहाँ बैंकों की वह संख्या है जो वित्तपोषण के लिए एसएमई की सहायता करने में मदद करते हैं। बैंकों के माध्यम से MSMEs द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य चैनल विभिन्न बैंकों द्वारा विशिष्ट ऋण है। बैंकों की भूमिका, सामान्य रूप से, उपरोक्त संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। MSME क्षेत्र की मांगों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कई पहलों जैसे

1. सिंगल विंडो डिस्पेंस के माध्यम से बड़े पैमाने पर ध्यान रखा है।

2. कम से कम टर्नअराउंड समय के साथ त्वरित निर्णय विशेष रूप से गठित MSME सेल के माध्यम से, और सभी बेहतर सेवा।

3. क्लस्टर आधारित योजनाएं भी बैंक की पहलों की सूची में हैं।

4. एमएसएमई को समय पर और पर्याप्त ऋण का प्रावधान।

5.उनके उत्पाद (दों) की बेहतर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहित करना, और समय-समय पर बीमार और अव्यवहार्य इकाइयों का पता लगाना ताकि उन्हें पुन: संरचना के माध्यम से वापस स्वस्थ किया जा सके।

बैंकों में एम एस एम ई लोन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

क्रेडिट स्कोर आपकी साख है। यह बताता है कि लोन के भुगतान में पहले आपका रवैया कैसा रहा है। यानी आपने किस तरह से लोन की अदायगी की। इसे देखकर कर्जदाताओं के पास लोन मंजूर करने के संबंध में एक खाका तैयार हो जाता है। लिहाजा, अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ वित्तीय संस्थान तो अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को बेहतर दरों पर ब्याज की पेशकश करते हैं।

जीएसटी और अन्य आवश्यक रजिस्ट्रेशन

जीएसटी और अन्य तरह के कानूनी रजिस्ट्रेशन अनुपालन संबंधी जांच में मदद करते हैं। उन बिजनेस को बैंक कर्ज देने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं जो कानूनी ढांचे में आते हैं।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट

ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोन की मंजूरी में सहूलियत देते हैं। इनसे बैंक या वित्तीय संस्थानों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कारोबार का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। कारोबार मुनाफे में है तो कर्जदाता लोन देने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे।

मुनाफे और टैक्स का रिकॉर्ड

कारोबार मुनाफे में है तो यह दिखाता है कि उस कंपनी के पास लोन चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है। इस तरह मुनाफे और टैक्स चुकाने में नियमितता का असर पड़ता है। इससे तय होता है कि आपको कितना बड़ा लोन दिया जा सकता है।

बैंक स्टेटमेंट

बैंक खाते का भी आकलन करते हैं। यह दिखाता है कि बिक्री से

बिजनेस में कितना कैश फ्लो हुआ। इससे लोन, ईएमआई आदि के संबंध में देनदारी का भी पता लगता है। टेक्नोलॉजी के कारण अब बैंक ट्रांजेक्शन की समीक्षा संभव हो गई है। इससे MSME की ऋण अदायगी की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। आज कई फिनटेक कंपनियां बैंक ऋण की मंजूरी में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं।

कितना टिकाऊ है बिजनेस

कोई बिजनेस कितना टिकाऊ है यह कई बातों पर निर्भर करता है। ग्राहकों की संतुष्टि, ग्रोथ स्ट्रैटेजी और बाजार की समझ, इसमें प्रमुख हैं। इन मानकों पर कोई कारोबार जितना खरा होगा, वह उतना ही टिकाऊ होगा। आज बिना क्रेडिट हिस्ट्री वालों को भी ऋण मिल सकता है। यह अलग बात है कि यह महंगा होता है। बिजनेस जितना पुराना होगा ऋण उतनी आसानी से मंजूर होता है।

वास्तविक अनुमान

बिजनेस ऋण लेने के लिए भविष्य के अनुमानों और विस्तार की योजनाओं को वास्तविक होना चाहिए। इसके पक्ष में उचित अनुमान रखने चाहिए। वाजिब अनुमान ऋण अदा करने की आपकी विश्वसनीयता को दिखाते हैं।

पैसों का इस्तेमाल

बिजनेस के लिए मिली ऋण की रकम को केवल उसमें ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऋण आवेदन की प्रोसेसिंग के समय बैंक इस बात पर खास जोर देते हैं कि ऋण की रकम कैसे इस्तेमाल की जाएगी। इस पैसे के उपयोग को लेकर वे काफी सतर्क रहते हैं। जिम्मेदारी से ऋण अदा करते हैं तो लंबी अवधि में अच्छी साख बन जाएगी। इससे भविष्य में ऋण मिलने की संभावना बढ़ेगी। इन बातों को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं।

दीपक आर्या
प्रबंधक/शाखा प्रबंधक
हिसार शाखा

राष्ट्रभाषा की व्यथा

मैं हूँ हिन्दी,
मैं हूँ भारत की राष्ट्र भाषा।
बड़े बड़े विद्वानों ने मुझे संस्कृत से तराशा
भारत के विद्वानों ने मुझे सर आँखों पर बिठाया।
मैने ही भारतवासियों को ज्ञान का मार्ग दिखाया।

मैंने ही पराधीन देश को आजादी दिलवाई,
मुझसे ही क्रांतिकारियों ने क्रांति की ज्योत जलाई।
जननी की भांति मैंने किया भारत का पोषण।
किन्तु कर रहे मेरे बच्चे आज मेरा ही शोषण।।
मैं थी अनुपम मधुर, मेरा प्यारा था स्वरूप।
परंतु बन गई अपने ही देश में मैं अत्यंत कुरूप।।

प्यारे भारतवासी अब मुझसे कतराने लगे,
अंग्रेज़ी बोलने वाले योग्य आंके जाने लगे।
जुल्मों को सहते सहते तंग आ गई हूँ मैं।
अपने ही घर में विदेशी से घबरा गई हूँ मैं।।
कहकहे लगाकर अंग्रेजी आज मुझ पर हँसती है।
खत्म कर दूंगी तुझे, यह कहकर ताने कसती है।

बेशक मैं मर जाऊं, पर तुम सब ये लो जान,
मेरे कारण ही है भारत की है अलग पहचान।
हो न जाए भारत मेरा, फिर से कहीं गुलाम।
यही विदेशी भाषा करेगी तुम्हारा जीना हराम।।
ओ नादानों अब तो जागो, लो अब सुध मेरी।
आ न जाए कहीं भारत में भयानक रैन अंधेरी।।

हो न पाएगा जिस रैन का कभी भी सवेरा।
छा न जाए फिर भारत में गुलामी का घनघोर अंधेरा।।

निधि धीमन
सहायक शाखा प्रबंधक
सेक्टर -21, पंचकूला

ईमानदारी - एक जीवन शैली

बेंजामिन फ्रेंकलिन के द्वारा कही गई एक आम कहावत "ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है" बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। ईमानदारी जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा मार्ग है और एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने इसे किसी भी रिश्ते की रीढ़ की हड्डी कहा है, जो एक अच्छी तरह से विकसित समाज का निर्माण करने में सक्षम होती है। जीवन में ईमानदार न होना, किसी के भी साथ वास्तविक और भरोसेमंद मित्रता या प्यार का रिश्ता बनाने में कई तरह की मुश्किलें पैदा करता है।

ईमानदारी विश्वास का दूसरा पर्याय है अगर हम अपने जीवन में ईमानदार हैं तो हम पर लोग सहज रूप से विश्वास करेंगे। बेईमानी से कार्य करने से जीवन में एक अपराध बोध रहता है जो जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता और हमारे मन को नकारात्मकता से भर देता है। इस नकारात्मकता का परिणाम जीवन में कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। यदि हम ईमानदारी से रहेंगे तो हमारे अंदर कोई भी अपराध बोध नहीं रहेगा और हम सकारात्मक होकर सोचेंगे। यह सकारात्मकता हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी।

ईमानदारी को अगर हम अपनी जीवनशैली बना लें तो यह हमारे जीवन के हर पड़ाव पर सहायक सिद्ध हो सकती है। यह जीवन में हमें अच्छे और उच्च गुणों वाले मित्रों को मिलाने में मदद करती है। ईमानदारी लोगों में हमारा विश्वास कायम करती है जिससे हमें समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ईमानदारी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास का निर्माण करती है जिससे हम और अधिक दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। ईमानदारी हमारे अंदर लोक कल्याण की भावना का विकास करती है और हमारे अंदर प्रेम एवं दया उत्पन्न करती है क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार है वह कभी किसी का अहित नहीं सोच सकता। वह सदैव दूसरों का हित ही करेगा। ईमानदारी हमारी आत्म संतुष्टि का भी एक महत्वपूर्ण उपाय है अगर हम ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें तो हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि होगी।

हालांकि आज के युग में ईमानदारी से रहना बड़ा ही कठिन है, लेकिन ईमानदारी से रहना असंभव नहीं। शुरु में हमें इसके पालन में काफी कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमारी ईमानदारी से रहने की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी तो हमें ईमानदारी से चलने में कठिनाई नहीं बल्कि आनंद आएगा। इसलिये ईमानदारी एक गुण ही नहीं बल्कि एक जीवनशैली है।

सफल जीवन के लिए ईमानदारी

ईमानदार होना व्यक्ति के अच्छे और साफ चरित्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ईमानदारी व्यवहार में गुणवत्ता को विकसित करती है। ईमानदारी व्यक्ति को बाह्य एवं आन्तरिक दोनों रूपों से बिना किसी नुकसान के और मस्तिष्क को बहुत शान्त करके बदल सकती है। एक शान्त मस्तिष्क शरीर, मन और आत्मा के बीच अच्छा सन्तुलन बनाने के द्वारा एक व्यक्ति को सन्तुष्टि देता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं और हम यह कह सकते हैं कि भगवान के दिल में भी।

वे लोग जो ईमानदार हैं, उनका परिवार और समाज में हमेशा सम्मान होता है और संसार के सबसे सुखी व्यक्ति होते हैं। यद्यपि एक बेईमान व्यक्ति हमेशा परेशानियों और समाज के लोगों के बुरे शब्दों का सामना करता है। ईमानदारी और अच्छा चरित्र अन्य कीमती वस्तुओं, जैसे सोने या चाँदी से भी अधिक ईमानदार व्यक्ति की सबसे बहुमूल्य सम्पत्ति होती है।

शान्तिपूर्ण जीवन के लिए ईमानदारी

हालांकि, ईमानदारी की आदत को विकसित किए बिना, हम सरलता और जीवन की अन्य अच्छाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ईमानदारी सरलता के बिना हो सकती है पर सरलता ईमानदारी के बिना कभी भी नहीं हो सकती है। बिना ईमानदारी के हम दो संसारों में रहते हैं, अर्थात् एक सच्चा संसार और अन्य दूसरा वह संसार जो हमने विकल्प के रुप में बनाया है। फिर व्यक्ति "ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है", का जीवन के हरेक पहलू (व्यक्तिगत, व्यवसाय, नौकरी, और अन्य रिश्तों) में पालन करते हैं और आमतौर पर एक समान जीवन जीते हैं। एक तरफ जहाँ ईमानदारी हमें सरलता की ओर ले जाती है; वहीं दूसरी ओर बेईमानी हमें दिखावे की ओर ले जाती है।

ईमानदारी नैतिक चरित्र का तत्व है, जो सच्चाई, दया, अनुशासन, ईमानदारी, आदि अच्छी आदतों को विकसित करती है। इसमें झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, चोरी करना, और अन्य उन बुरी आदतों का अभाव होता है, जो लोगों को दुख देती हैं। ईमानदारी वास्तविकता में, विश्वसनीय, भरोसेमंद और जीवनभर ईमानदार होना है। ईमानदारी बहुत ही कीमती और अधिक महत्व वाली अच्छी आदत है। इस बारे में बेंजामिन फ्रेंकलिन ने बहुत अच्छी कहावत कही है, “ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।” थॉमस जैफ्फरेंसन द्वारा कहा गया एक और कथन है कि, “बुद्धिमानी की किताब में ईमानदारी सबसे पहला पाठ है।” दोनों कथन अतीत में महान व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं हालांकि, भविष्य में भी ये कथन सत्य ही रहेंगे।

ईमानदारी एक व्यक्ति को अच्छाई के रास्ते पर ले जाती है, जो वास्तविक आनंद और खुशी देता है। एक व्यक्ति ईमानदार तभी हो सकता है, जब वह विभिन्न पहलुओं में ईमानदारी का अनुसरण करे; जैसे- बोलने, कार्यस्थल पर कार्य करने, न्याय करने, व्यवहार में और उन सभी गतिविधियों में जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ईमानदारी एक व्यक्ति को सभी परेशानियों से आजाद और निडर बनाती है।

ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है

ईमानदारी को सबसे अच्छी नीति माना जाता है हालांकि, इसका पालन करना और इसको विकसित करना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे अभ्यास से विकसित कर सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक अभ्यास और समय की आवश्यकता होती है। ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए कुछ निम्नलिखित तत्व है:

- बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति, परिवार, मित्रों, अध्यापकों आदि के साथ किसी भी स्थिति में रिश्ते को विश्वसनीय नहीं बना सकता है। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है।
- कोई भी किसी के मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकता, जब तक कि वह यह महसूस नहीं करता कि, वह व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदारी अच्छी आदत है, जो सभी को खुशी और

शान्तिपूर्ण मस्तिष्क प्रदान करती है। बेईमान लोग किसी भी रिश्ते का विकास नहीं होने देते और बहुत सी समस्याओं का निर्माण करते हैं।
- झूठ बोलना अपने प्रियजनों को बहुत ही दुख देता है, जो रिश्तों में विश्वासघात के हालात पैदा करता है। ईमानदार होना खुशनुमा चेहरा और निडर मन देता है।
- केवल कुछ डर के कारण सच बोलना, एक व्यक्ति को वास्तविक रुप से ईमानदार नहीं बनाता। यह एक अच्छा गुण है, जिसे लोगों को हमेशा अपने व्यवहार में आत्मसात करना चाहिए। सत्य हमेशा कड़वा होता है हालांकि, हमेशा अच्छे और स्वस्थ परिणाम देता है।
- ईमानदारी वह शक्ति है, जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है और समाज के बहुत से मुद्दों को हल कर सकती है। शुरुआत में, ईमानदारी का अभ्यास जटिल और उलझन वाला हो सकता है हालांकि, बाद में व्यक्ति को बेहतर और राहत महसूस कराती है। यह एक व्यक्ति को किसी भी बोझ से राहत देने के साथ ही स्वतंत्र बनाती है।

यह वह गुण है, जो किसी भी समय विकसित किया जा सकता है हालांकि, बचपन से ही अपने माता-पिता, बड़ों, पड़ोसियों और शिक्षकों की मदद से इसका अभ्यास करना अच्छा होता है। सभी पहलुओं पर ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवनभर सकारात्मक योगदान देता है।

जीवन में ईमानदारी की भूमिका

ईमानदारी जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे खुली आँखों से आसानी से बहुत स्पष्ट रुप से देखा जा

सकता है। समाज के लोगों द्वारा ईमानदार कहा जाना, उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा परिपूरक है। यह उस व्यक्ति के द्वारा जीवन में कमाई हुई वास्तविक सम्पत्ति है, जो कभी भी खत्म नहीं होती है। आजकल, समाज में ईमानदारी की कमी लोगों के बीच अन्तर का सबसे बड़ा कारण है। यह अभिभावकों-बच्चों और विद्यार्थियों-शिक्षकों के बीच उचित पारस्परिक सम्पर्क के अभाव के कारण है। ईमानदारी कोई वस्तु नहीं है, जिसे खरीदा या बेचा जा सके। इसे धीरे-धीरे, बच्चों में एक अच्छी आदत के रुप में विकसित करने के लिए, स्कूल और घर सबसे अच्छे स्थान है।

घर और स्कूल वे स्थान हैं, जहाँ एक बच्चा नैतिकता को सीखता है। इस प्रकार, शिक्षा प्रणाली में बच्चों को नैतिकता के करीब रखने के लिए कुछ आवश्यक रणनीति होनी चाहिए। बच्चों को उनके बचपन से ही, घरों और स्कूलों में अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से ईमानदार होने के लिए उचित तरह से निर्देश देने चाहिए। किसी भी देश के युवा, उस देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उन्हें नैतिक चरित्र को विकसित करने के लिए बेहतर अवसर देने चाहिए, ताकि वे देश का बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकें।

ईमानदारी मनुष्य की समस्याओं का सच्चा समाधान है। आजकल, केवल ईमानदार लोगों की संख्या में कमी होने के कारण, समाज में प्रत्येक जगह भ्रष्टाचार और बहुत सी समस्याएं हैं। इस तेज और प्रतियोगी वातावरण में, लोग नैतिक मूल्यों को भूल गए हैं। सभी चीजों को प्राकृतिक तरीके से चलने देने के लिए, इस बात पर पुनर्विचार करना बहुत आवश्यक है कि, समाज में ईमानदारी को वापस कैसे लाया जाए?

ईमानदारी सबसे अच्छी नीति कैसे है?

ईमानदारी यानि सच्चाई – जीवन के हर मोड़ पर आपकी अपेक्षा यही रहती हैं ना, कि आपके आसपास मौजूद लोग आपके प्रति सच्चे हो। आपके साथ छल करने के बजाये आपके गुणों को सराहें और आपकी कमियों के बारे में सच्चाई के साथ सतर्क करते रहें।

लेकिन जब आप अपने आसपास मौजूद माहौल में ऐसे सच्चे और ईमानदार लोगों की कमी महसूस करते हैं तो थोड़ी निराशा भी महसूस करते ही होंगे। दरअसल ईमानदारी और सच्चाई एक ही बात है। बस फर्क इतना है कि ईमानदारी शब्द को अक्सर फर्ज़ से जोड़कर देखा जाता है और सच्चाई को रिश्तों से जोड़कर देखा-समझा जाता रहा है।

ईमानदारी के साथ अनुशासन भी चलता है – ईमानदार व्यक्ति में अनुशासन भी होता है जिसके ज़रिये वो हर कार्य आत्म-अनुशासन में रहते हुए समय पर पूरा कर पाता है। समय पर कार्य पूरा करना भी उस कार्य के प्रति ईमानदारी ही दर्शाता है।

ईमानदारी में पारदर्शिता होती है – ईमानदार व्यक्ति जिस भी रिश्ते में जुड़ा होता है, उसके व्यवहार में पारदर्शिता को साफ देखा जा सकता है। रिश्ता चाहे परिवार का हो, करियर से जुड़ा हो या फिर समाज और दुनिया से ही क्यों न जुड़ा हो, ईमानदार शख्स हर रिश्ते को पूरी पारदर्शिता के साथ निभाता है। जिससे सम्बन्ध और भी ज़्यादा मजबूत हो जाया करते हैं।

ईमानदारी में निहित होती है करुणा – दया और करुणा का भाव भी ईमानदारी का ही साथी होता है। दया और सहानुभूति, सहयोग और सद्भावना जैसे भाव ईमानदार व्यक्ति में कूट-कूट कर भरे होते हैं। जो हर कदम पर उसके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं।

ईमानदारी और यथार्थ – इमर्सन ने कहा है – 'यथार्थ और ईमानदारी सगी बहनें हैं' सच ही तो है, ईमानदारी और वास्तविकता आपस में सम्बंधित जो है। छल-कपट, झूठ और बेईमानी से दूर रहकर ईमानदारी के साथ जीना ही यथार्थ जीवन है।

ईमानदारी और विश्वसनीयता – ईमानदार व्यक्ति भरोसेमंद होते हैं, जिन पर आँख बंद करके भी भरोसा किया जा सकता है। मुश्किल हालातों में पीठ दिखाकर भागने की बजाए ऐसे लोग मुसीबत में साथ खड़े देखे जा सकते हैं।

ईमानदारी और निर्भीकता – ईमानदार व्यक्ति को किसी बात का डर नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि उसने किसी के साथ कोई छल नहीं किया है। इसी कारण ईमानदार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी शांत होता है क्योंकि बेईमान लोगों की तरह अपने दोष और की गयी चोरी को छिपाने के लिए उग्रता दिखाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है।

ईमानदारी और कर्तव्य – कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं लेकिन आज के इस दौर में अधिकारों का बोलबाला है। कर्तव्य के बारे में बात करना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी अपने साथ कर्तव्य को लेकर चलती है। हर ईमानदार शख्स अपने कर्तव्यों का निर्वाह सच्चाई और समर्पण के साथ करता है।

ईमानदारी और प्रतिष्ठा – हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसे ख़ास प्रतिष्ठा और सम्मान मिले लेकिन समाज और दुनिया उसी को सराहती है, उसी का सम्मान करती है जो अपने दायित्वों के निर्वहन के समय पूरी ईमानदारी बरतता है। ऐसे लोगों को प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता है और अपना आदर्श भी मानता है।

थॉमस जैफ्फरेंसन ने कहा है कि- "बुद्धिमानी की किताब में ईमानदारी सबसे पहला पाठ है।" बचपन से आज तक हमने कितने ही पाठ पढ़े और आज ईमानदारी से जुड़ी उन्हीं पाठों को याद करने की जरुरत है। ईमानदारी कोई व्यक्तित्व नहीं है जो कुछ लोगों तक ही सीमित रह सकता हो, बल्कि ईमानदारी व्यक्तित्व का ऐसा ज़रूरी गुण हैं जो हर शख्स में होना बेहद ज़रूरी है।

ईमानदारी की सीख लेने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। जिस पल चाहे, उसी पल से ईमानदार हुआ जा सकता है, स्वयं के प्रति, अपनों के प्रति, समाज-देश और इंसानियत के प्रति। ये बेहद आसान है और जिन ईमानदार लोगों को हम अपना आदर्श मानते आये हैं क्यों ना अभी से उनकी राह का अनुसरण किया जाए और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना लिया जाए।

अतः हम कह सकते हैं कि ईमानदारी अलादीन का चमत्कारी चिराग है, जिसके उपयोग से हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी जीवन में एक अच्छे हथियार की तरह है, जो हमें बहुत से लाभों के द्वारा लाभान्वित करती है और इसे बिना किसी लागत के प्राकृतिक रुप से विकसित किया जा सकता है। ईमानदारी हमें जीवन में सब कुछ उम्मीद के अनुसार देती है, वहीं एक झूठ हमारे रिश्तों को बर्बाद करने के माध्यम से हमें बर्बाद कर सकता है। एक झूठा व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, और अन्य करीबियों के दिलों में से अपने लिए भरोसे को खो देता है। इसलिए, "ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है" कहावत हमारे जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है।

स्थिति को सुरक्षित करने के लिए झूठ बोलना, स्थिति को और भी अधिक बदतर बना सकता है। सच कहना और बोलना चरित्र को मजबूती देने के साथ ही हम में विश्वास लाता है। जीवन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्थितियाँ होती है और मेरे विचार से हममें से सभी को इस बात का अहसास होता है कि अपने प्रियजनों से सच बोलना हमें राहत और खुशी प्रदान करता है। इसलिए इस कहावत के अनुसार, ईमानदार होना वास्तव में मनुष्य के जीवन में अच्छा होता है।

सामाजिक और आर्थिक सन्तुलन को बनाने के लिए लोगों को ईमानदारी के मूल्य को समझना होगा। लोगों के द्वारा ईमानदारी का अनुसरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आधुनिक समय की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। यह एक अच्छी आदत है, जो एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों को सुलझाने और संभालने में पर्याप्त सक्षम बनाती है।

ईमानदारी का अर्थ जीवन के सभी आयामों में एक व्यक्ति के लिए सच्चा होना है। इसके अन्तर्गत किसी से भी झूठ न बोलना, कभी किसी को भी बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना शामिल है। ईमानदार व्यक्ति कभी भी उन गतिविधियों में शामिल नहीं होता, जो नैतिक रुप से गलत होती हैं। ईमानदारी किसी भी नियम और कानून को नहीं तोड़ती है। अनुशासित रहना, अच्छे से व्यवहार करना, सच बोलना, समयनिष्ठ होना और दूसरों की ईमानदारी से मदद करना आदि सभी लक्षण ईमानदारी में निहित होते हैं। ईमानदार होना वास्तविक जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे कोई खरीद या बेच सके; यह एक अच्छी आदत है, जिसे केवल अभ्यास के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है।

चन्दन कुमार शर्मा
सहायक प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

नए उद्योगों के निर्माण में एमएसएमई ऋण की भूमिका

भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। देश में मौजूद जो भी सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों से संबंधित नियम और कानून हैं तथा आवश्यकता होने पर नए कानूनों के निर्माण के लिए इससे संबंधित मंत्रालय सर्वोच्च संस्था है। हर देश की आर्थिक मजबूती, उम्मीद और व्यवसाय युवा उद्यमी पर अधिक रहती है। भारत सरकार छोटे-बड़े व्यापारिक संगठनों को उनके व्यापार में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें एमएसएमई में आसानी से पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करती है।

एमएसएमई निवेश के लिए छोटे आकार की संस्था है, जिसमें कुशल व अकुशल व्यापारी हैं जो बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। ये निर्यात के क्षेत्र में योगदान, निर्माण क्षेत्र को बढ़ाना और कच्चे माल, बुनियादी सामान की आपूर्ति के द्वारा बड़े उद्योगों को समर्थन प्रदान करते हैं। भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत कंपनियों या व्यापार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है।

भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सा है। होंगे या राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है।

इसके तहत व्यापार में आपको ब्याज की कम दर, उत्पाद शुल्क में छूट, कर सब्सिडी और अन्य कई तरह के लाभ उपलब्ध होंगे। इसमें छूट को प्राप्त करने के लिए आपको उद्योग आधार पंजीकरण कराना आवश्यक है।

किसी भी प्रकार के उद्योग जैसे कि एकल स्वामित्व वाली, भागीदारी या अन्य प्रकार के व्यवसाय के लिए आप एमएसएमई का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में एमएसएमई का महत्व -

एमएसएमई सूक्ष्म, छोटे और मध्यम इन तीनों श्रेणियों के उद्योगों में से किसी भी इंटरप्राइज के अन्तर्गत आता है। एमएसएमई उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यह सभी के लिए समान विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इंजन की तरह कार्य करती है।

एमएसएमई को व्यापार में लगने वाले छोटे-बड़े मशीनरी संयत्र की खरीद में किए गए पूंजी निवेश के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम 2006 सिर्फ उन उद्योगों पर ही लागू होता है, जो विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तीनों श्रेणी के एम.एस.एम.ई उद्योग का वर्णन निम्नलिखित है -

माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग :

- सूक्ष्म उद्योग सबसे छोटी संस्था है। इस विनिर्माण व्यापार के अन्तर्गत संयत्र एवं मशीनरी में 25 लाख तक का निवेश कर सकते हैं और सेवा व्यापार में अधिक से अधिक 10 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकते हैं।
- लघु उद्योग : इसके अन्तर्गत छोटे विनिर्माण उद्योग के लिए संयत्र एवं मशीनरी में 25 लाख से 5 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं और सेवा व्यापार में निवेश की सीमा 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की है।
- मध्यम उद्योग : मध्यम विनिर्माण उद्योग के लिए संयत्र एवं मशीनरी में 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं।
- लघु उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में सूक्ष्म एवं लघु

उद्योगों में उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होता रहा है। उद्यमी बनना या उद्यम स्थापित करना आज काफी आसान हो गया है, क्योंकि हमारी सरकार उद्योग स्थापना के लिए उद्यमियों को कई तरह से प्रोत्साहित करती है, इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करती है, जिससे उद्यमियों को उद्योग स्थापना का ज्ञान दिया जा सके। यदि उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

आजकल तो सरकार की योजना लोन इन 59 मिनट के तहत ऋण लेने की प्रक्रिया में अधिक समय भी नहीं लगता है। साथ ही उद्योग स्थापित करने में यदि उन्हें कोई परेशानी आ रही है, तो उन्हें उद्योग चलाने हेतु सहायता प्रदान करवाई जाती है। सरकार इस बात पर खासतौर पर प्रयत्नशील है कि देश भर में उद्यमिता पले व बढ़े तथा एक ऐसी संस्कृति पल्लवित हो, जिसमें स्वरोजगार, लघु उद्योगों का उत्पादन एवं छोटे उद्यमियों की लाभप्रदता बढ़े साथ ही जो संभावी एवं नव उद्यमी हैं, उनके कौशल को निखारा जाए। इसके लिए लघु उद्यम विकास संस्थान विभिन्न प्रकार के लाभदायक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

हमारे देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इन उद्योगों का योगदान अहम साबित हुआ है। इन्होंने कम पूंजी से रोजगार उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीण इलाकों में औद्योगीकरण का प्रकाश फैला रहा है तथा क्षेत्रीय असंतुलन की कमी को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु उद्योग में हुए विकास ने आधुनिक तकनीक अपनाने तथा लाभकारी रोजगार में उद्यमशीलता की प्रतिभा का उपयोग करने को प्राथमिकता प्रदान की है जिससे उत्पादकता और आय के स्तर को बढ़ाया जा सके। छोटे उद्यमियों के उत्थान के लिए सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं - जिनमें मुद्रा योजना, पीएमईजीपी , स्टार्टअप इंडिया, स्टैण्ड अप इण्डिया इत्यादि। इन योजनाओं से लघु उद्यमियों के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

शासन की योजनाएं तो अपनी जगह हैं, अगर कोई व्यक्ति खुद का उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसके पास प्लानिंग और व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त राशि होनी चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कम पैसे में अपना स्वयं का उद्योग शुरू नहीं कर सकता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है।

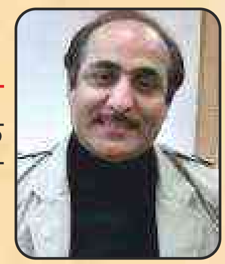

सुभाष चावला
प्रबन्धक
फूसगढ़ शाखा

सपने होते हैं परछाई से

सपने होते हैं परछाई से,
ये बढ़ते ही जाते हैं
कभी खुशहाली
तो कभी जंग बन जाते हैं।
छोटे से मन में
वो विशाल घर बनाते हैं
जिन्दगी की हकीकत में
जो युद्ध छेड़ जाते हैं
सपने हैं परछाई से
कदमों के साथ बढ़ते जाते हैं
कभी सुंदर वादियों का एहसास
दिल में भर देते हैं
तो कभी हकीकत बन के सामने
आ जाते हैं
कभी किसी से नहीं करते हैं
वो भेद-भाव
कोई भी हो राजा या रंक
सबकी आँखों में आते हैं वो
सपने हैं परछाई से,
सबकी आँखों में आते हैं
कभी खुशी और कभी उदास कर जाते हैं
दिन-भर सोचते रह जाते हैं
कि यह क्या एहसास हैं
जो हमें अंतर्मन तक छोड़ जाते हैं सपने होते हैं परछाई से

सुशील कुमार गुलाटी
शाखा प्रबन्धक
बल्लभगढ़ शाखा

एमएसएमई : भारत के सर्वांगीण विकास की मजबूत आधारशिला

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हमेशा से ही अधिक महत्व रहा है। आजादी के पहले भारत में बड़े उद्योग बिलकुल भी नहीं थे। उस समय देश के कपड़ा उद्योग विश्व प्रसिद्ध थे। इसके अलावा तांबा का काम, लकड़ी का काम, पत्थर की मूर्तिया तथा लोहे से बने भारतीय सामानों का विश्वभर में ख़रीदारों की भीड़ सी थी। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। उदारीकरण का कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव दिखता है। उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति भी सुधरी। औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई है, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च तकनीक प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हुई है। सकारात्मक प्रभावों के साथ ही उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न की है। उदारीकरण के बाद राष्ट्रीयकरण के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता एवं पूंजीवादी मानसिकता के कारण बैंकों का ढांचा अमीरों के अनुकूल और गरीबों के प्रतिकूल ही बना रहा। छोटे उद्यमियों को उदारीकरण का कुछ खास लाभ नहीं मिला जिससे एमएसएमई के क्षेत्र को विस्तृत होने का कुछ खास अवसर नहीं मिला। उदारीकरण ने बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों की संवृद्धि को सुनिश्चित किया लेकिन परम्परागत कुटीर और लघु पैमाने के उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित किया। लघु उद्योग बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में अक्षम होते हैं और इन्हें सफल होने के लिए तकनीकी पहुंच, नेटवर्क एवं अधिक वित्त और अनुदान की आवश्यकता होती है। भारत सरकार इस खाई को पाटने एवं एमएसएमई क्षेत्र को उदारीकरण की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ-साथ कारोबारियों को कई प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। देश के एमएसएमई क्षेत्र को 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक का कर्ज मुहैया कराने वाली योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा पंजीकृत कारोबारियों को कर्ज पर जीएसटी की छूट दी जा रही है। एमएसएमई को अपने उत्पाद निर्यात करने पर दी जाने वाली छूट को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ-साथ कारोबारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति, एमएसएमई के तहत नियमों में कई तरह के बदलाव जैसे श्रम कानून में ढील, कंपनी कानून में बदलाव, पर्यावरण संबंधी लाइसेंस में नरमी इत्यादि की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये सभी ऐसी समस्याएँ हैं जिनसे कारोबारी भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद भी जूझता रहा है।

देश की 60 फीसदी से अधिक आबादी गांवों में रहती है जिनमें से 50 फीसदी आबादी उन युवाओं की है जिनके पास काम नहीं है। शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण और दूरदराज में रहने वाले करोड़ों लोग सुविधाओं के अभाव में अपना उद्यम शुरू नहीं कर पाते हैं। इस खाई को पाटने के लिए सरकार देश भर में फैले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को मजबूत बना रही है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र कई तरह के रोजगारों से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र ग्रामोद्योग से शुरू होकर वाहन के कलपुर्जों के उत्पादन, माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और विद्युत चिकित्सा उपकरणों तक फैला हुआ है। देश के विनिर्माण क्षेत्र में इस क्षेत्र की 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है और देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में भी यह योगदान करता है। यह क्षेत्र करोड़ो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह निर्विरोध कहा जा सकता है कि एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने से न सिर्फ देश का बहुमुखी आर्थिक विकास होगा, बल्कि लोगों को अपने गांव-कस्बों में रोजगार भी मिलेगा और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का इस्तेमाल भी हो सकेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), देश में ये उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले हैं। इसे उद्यमशीलता और नवीनता के लिए एक पहले पड़ाव के रूप में देखा जा सकता है। ये उद्यम देशभर में व्यापक रूप से फैले स्थानीय बाजारों की जरूरत को पूरा करते हैं। ये राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विश्व भर में विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में जाना जाता है। दुनिया के कई देशों ने इस क्षेत्र के विकास के संबंध और सभी सरकारी कार्यों में समन्वय की देखरेख के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में एसएमई विकास एजेंसी की स्थापना की है। भारत के मामले में भी मध्यम उद्योग स्थापना को एक अलग नियम के अंतर्गत परिभाषित किया है जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 (जो 02 अक्टूबर, 2016 से लागू हो गया है) है। विकास आयुक्त का कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल विकास एजेंसी (एमएसएमई) के रूप में कार्य करता है।

एमएसएमई क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पूंजी की रही है।

एमएसएमई क्षेत्र से बड़े-बड़े व्यापारियों की अपेक्षा मुख्य रूप से गाँव कस्बों के छोटे-छोटे व्यापारी अधिक मात्रा में जुड़े हुए हैं जिनकी पहुँच बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं तक न के बराबर रही है इन्हें बैंकों से ऋण मिलना काफी मुश्किल होता है। इस कठिनाई को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा लागू की गई मुद्रा योजना ने इस क्षेत्र को फलने और फूलने में काफी सहायता की। इस योजना के तहत सरकार लोगों को 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपए तक ऋण मुहैया करा रही है जिससे लघु एवं मध्य आकार के उद्यमियों को अपने व्यापार को विस्तृत एवं सुदृढ़ करने में काफी मदद मिल रही है। इसके तहत छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

पिछले छह दशकों के दौरान भारतीय लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एसएमई ने न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में भारी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद की है। लघु और मध्यम उद्यम पूरक इकाइयों की तुलना में बड़े उद्योग हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफी योगदान देते हैं। आज इस क्षेत्र में लगभग 5.5 लाख से अधिक इकाईयां हैं जो 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। यह क्षेत्र 6,000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से कुल विनिर्माण उत्पादन में 45% और देश के निर्यात में 40% के योगदान देने के अलावा सकल घरेलू उत्पादन में भी लगभग 8% का योगदान देता है। एसएमई क्षेत्र के पास देश भर में औद्योगिक विकास का प्रसार करने की क्षमता होने के साथ- साथ देश में समावेशी विकास की प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान देने की भी क्षमता है।

एमएसएमई क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी से भी जोड़ा जा रहा है ताकि यह क्षेत्र कड़ी प्रतिस्पर्धा में मुक़ाबला कर सके। इस साल एमएसएमई दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सौर चक्र मिशन लांच किया जिसके तहत सरकार हजारों कारीगरों को सब्सिडी प्रदान करेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा हों। एमएसएमई मंत्रालय देशभर में कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर रहा है।

उत्साह और विकास की अंतर्निहित क्षमताओं के बावजूद, एसएमई भारत में कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे-

1. छोटे पैमाने पर उत्पादन करना, 2. पुरानी तकनीक से जूझना 3. घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढोत्तरी, 4. कार्यरत पूंजी की कमी, 5. बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से समय पर व्यापार न मिलना, 6. कुशल कार्यशक्ति की अपर्याप्तता

इस तरह के मुद्दों के साथ बने रहने तथा बड़े और वैश्विक उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एमएसएमई को अपने अभियान में नवीन दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। वो एसएमई जो अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण में अंतरराष्ट्रीय, आविष्कारशील वाले हैं, उनके पास एक मजबूत तकनीकी आधार, प्रतिस्पर्धा की भावना और खुद को पुनर्गठित करने की इच्छाशक्ति है। ये एसएमई वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए आसानी से सकल घरेलू उत्पाद में काफी योगदान दे सकते हैं। भारतीय एसएमई हमेशा औद्योगिक और संबंधित क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों, नए व्यापारिक विचारों को स्वीकार करने और स्वचालन प्राप्त करने के लिए तैयार है।

अतः यह स्पष्ट है कि एमएसएमई का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का लगभग 8% का यागदान दे रहा है। भारत में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए भारत सरकार ने भारत में 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। भारत में हमेशा से ही एमएसएमई को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है। भारत में इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए जाते रहे हैं। आज कारोबारी सुगमता के मोर्चे पर भारत विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में 23वें पायदान की छलांग के साथ 77वें स्थान पर आ गया। यह क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास, भारत में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने, देश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने एवं उद्योग जगत को मजबूत आधार देने में अपनी सार्थकता को सिद्ध करने में सक्षम है। इस क्षेत्र के विकसित होने की रफ्तार को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत एमएसएमई के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग के साथ भारत के उद्योग जगत को एक नए तेवर एवं बड़ी मजबूती के साथ विश्व प्रतिस्पर्धा के बाज़ार में खड़ा कर रहा है तथा 5 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था के मजबूत महत्वाकांक्षी सपने के साथ एक नए भारत की संरचना की नीव रख रहा है।

श्याम कुमार दास
सहायक प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

एमएसएमई क्षेत्र में बैंकों की भूमिका

एमएसएमई जिसका मतलब होता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, यह भारत के वित्तीय विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एमएसएमई को देश के विकास का इंजन बता कर संबोधित किया गया है। एमएसएमई भारत में 5 करोड़ से ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा यह क्षेत्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में आनेवाली दिक्कतों को झेलने में काफी कारगर साबित हुआ हैं। इस क्षेत्र में आनेवाली उद्योगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, अत: बेरोजगार युवाओं के लिए यह अवसर प्रदान करता है।

एमएसएमई भारत में एक महत्वपूर्ण विकास चालक हैं। यह 8 प्रतिशत जीडीपी योगदान देता है। भारत में यह अकेले 40 प्रतिशत निर्यात में योगदान देता है। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, सर्विस और अन्य क्षेत्रों को एमएसएमई से भी लाभ मिलता है। एमएसएमई अधिनियम 2006 के लागू होने के बाद 40 प्रतिशत से ज्यादा एमएसएमई के उद्यमियों ने अपना पंजीकरण कराया है। जिससे सरकार को राजस्व में बढ़त मिली।

भारत में लगभग 50 प्रतिशत संपत्तियों का स्वामित्व केवल 100 लोगों के पास है, जो धन के असमान वितरण के कारण है। समावेशी विकास कई वर्षों तक एमएसएमई मंत्रालय के एजेंडे के शीर्ष पर है। पावर्टी और डिप्रेविएशन का सामना करना, एमएसएमई के लिए एक कड़ी चुनौती है। पिछले छह दशकों के दौरान भारतीय लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई ने न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में भारी मात्रा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण में भी मदद की है। लघु और मध्यम उद्यम पूरक इकाइयों की तुलना में बड़े उद्योग है और यह क्षेत्र देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफी योगदान देते हैं।

आज इस क्षेत्र में 36 लाख इकाइयाँ हैं जो 80 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। यह क्षेत्र 6000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से कुल विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत

और देश के निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र के पास देश भर में औद्योगिक विकास का प्रसार करने की क्षमता होने के साथ-साथ विकास की प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान देने की भी क्षमता है। केन्द्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लान्च किया जिसके जरिए 59 मिनट के अन्दर एक करोड़ की लोन बैंकों से मिल सकती है।

सरकार ने ब्याज सब्सिडी को 3 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिल सकता है। यद्यपि एमएसएमई सेक्टार देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर भी उसे आर्थिक सहयोग की कमी हर समय रहती है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार एवं आरबीआई समय-समय पर बैंकों के जरिए नए-नए नियम लागू करते आए हैं। इस समय एमएसएमई सेक्टर में बैंकों का योगदान करीब 833 बिलियन के ऊपर जा चुका है, जो कि 2019 के अंत तक 7.9 ट्रिलियन होने की संभावना है।

यह सुविधा हर एमएसएमई सेक्टर को प्राप्त है। बैंक बिना सेक्यूरिटी के लोन देता है। यद्यपि 8 ट्रिलियन लोन एमएसएमई को दिया जा चुका है फिर भी और केपिटल इंफियूशन की जरूरत है। आईएफसी के तहत एमएसएमई सेक्टर 32 ट्रिलियन की कमी महसूस कर रही है।

बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हर छोटे उद्योग के पास पहुँचना व्यापार के लिए गाड़ियों के साथ-साथ प्रोजेक्ट फाइनांस गाड़ियाँ खरीदना और वर्किंग केपिटल देना एमएसएमई सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा है, जो कि देश के

विकास के लिए जरूरी है।

ऋण के बोझ का खतरा घटाने के लिए मार्टगेज रहित ऋण देने के लिए भारत सरकार ने सीजीटीएमएसई नामक एक योजना शुरू की है। इसके चलते बैंकों के पास लोन देने की आजादी का दायरा बढ़ जाता है।

दुनिया की हर एक अर्थव्यवस्था से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की खास भूमिका होती है। ये बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करते हैं। आर्थिक गतिविधियों को रफ़्तार मिलती है। आर्थिक विकास बढ़ता है। इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में भी यह सेगमेंट बहुत बड़ा है। इसमें 6.30 करोड़ से ज्यादा यूनिटें शामिल हैं। इन युनिटों में करीब 11.10 करोड़ लोग काम करते हैं। देश की जीडीपी में भी एमएसएमई का काफी योगदान है। इसमें सेगमेंट की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है।

कुल मिलाकर कहें तो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में एमएसएमई सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है। इस सेक्टर को प्रोत्साहित कर भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। एमएसएमई के समक्ष अब भी कई चुनौतियां हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्हें आसानी से कर्ज उपलब्ध नहीं है, पैसे की कमी उद्यमियों के पांव में जंजीरें डालती हैं। वित्तीय संस्थानों की कर्ज बांटने की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है। अंत में यह कहना अनिवार्य है कि देश की प्रगति और विकास में एमएसएमई सेक्टर और बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

समर बल्लव रथ
सहायक प्रबंधक
कटक शाखा

इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय तथा विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर 'एमएसएमई सहयोग एवं प्रचार अभियान' चलाया गया।

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा कार्यपालकों के लिए आयोजित हिन्दी कार्यशालाएँ

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित हिन्दी कार्यशालाएँ

विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित हिन्दी कार्यशालाएँ

बर्द्धमान

नागपुर

गुवाहाटी

लखनऊ

करीमनगर

मदुरै

राजभाषा हिन्दी का सरलीकरण

भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम होती है, यदि भाषा का विकास नहीं हुआ होता तो मनुष्य का पारस्परिक जुड़ाव उस तरीके से नहीं होता जो आज परिलक्षित होता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ विकसित हुई, फली-फूली और इसका दूर-दूर तक प्रचार-प्रसार हुआ। उत्तरोत्तर विकास के साथ इसकी जटिलता भी बढ़ती गयी और इसमें सबसे अधिक जटिलता एवं कठिनाइयां अंग्रेजों के समय में आईं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी को इतना अधिक महत्व दिया कि अंग्रेजी और सभी भाषाओं पर आधिपत्य बना सके और भाषा के माध्यम से वह अपनी संस्कृति, धर्म का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर सकें एवं औपनिवेशिक शोषण चरम सीमा तक कर सकें।

भाषा विज्ञान किसी भाषा को सरल या कठिन नहीं मानता, भाषा को केवल भाषा मानता है । सरलता कठिनता की बात भाषेत्तर तत्व करते हैं। 'जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तिन तैसी के अनुसार हिन्दी की कठिनाईयाँ भी अपनी-अपनी भावना से प्रसूत हैं। इसलिए उनका कोई समाधान संभव नहीं है। एक वर्ग अपनी संस्कृत निष्ठता के कारण हिन्दी को कठिन कहता है। इस वर्ग में उर्दू आते हैं। हिन्दी और उर्दू के व्याकरण में समानता है। अतः इस वर्ग का असंतोष व्याकरण को लेकर नहीं हिन्दी के शब्द भंडार को लेकर है। इस वर्ग को देश कठिन मालूम होता है, मुल्क आसान, प्रजातंत्र कठिन, जमहूरियत आसान, जनता कठिन, अवाम आसान, उन्नति कठिन, तरक्की आसान, उत्सव कठिन, जलसा आसान। 'हिन्दी' के शब्दों के बदले यदि अरबी फारसी के शब्द रख दिए जाएँ तो इस वर्ग को हिन्दी से कोई शिकायत नहीं होगी।

हिन्दी को कठिन कहने वाला दूसरा वर्ग उनका है, जो अंग्रेजीदाँ है अर्थात बाबू या साहब हैं। ये लोग अंग्रेजी शासन तंत्र के अंग रहे। इन्हें कार्यालय की भाषा की बनी बनाई लीक का अभ्यास हो गया है, इसलिए उसमें काम करने में इन्हें असुविधा नहीं होती। अभ्यस्त लीक से जरा भी इधर-उधर चलने में इन्हें असुविधा होने लगती है। हिन्दी शब्दों के प्रयोग में जो थोड़ा बहुत प्रयास अपेक्षित है, वह इन्हें कष्टकर प्रतीत होता है। अतएव ये हिन्दी का विरोध करते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस,कम्प्यूटर, मिनिस्ट्री ऑफ़ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनिकेशन, एसेम्बली, कौंसिल, डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, कमेटी, मीटिंग, सेशन, फाइल, आर्डर विड्रॉल, डिपॉजिट आदि शब्द इतने मंजे हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विदेश मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, परिवहन और संचार मंत्रालय, परिवहन, सचिव, निदेशक, समिति, बैठक, सत्र, संचिका, आदेश, आहरण, जमा शब्द अजनबी अर्थात कठिन लगते हैं। अंग्रेजी को कायम रखने के लिए यही वर्ग सब से अधिक सचेष्ट है और चूँकि अधिकार इन्हीं के हाथों में है, इसलिए हिंदी को रोकना इसके लिए आसान भी है। इस वर्ग में वे अध्यापक भी हैं, जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाए हुए हैं और अंग्रेजी में पढ़ाते भी हैं। दर्शन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी आदि विषयों की अपनी-अपनी पारिभाषिक शब्दावली है जो वर्षों के सतत प्रयोग से आत्मसात हो चुकी है। अब अंग्रेजी को छोड़ हिन्दी को अपनाने का अर्थ है उस समस्त शब्दावली का परित्याग और नवीन शब्दावली पर अधिकार करने का प्रयास, को स्पष्ट ही श्रमसाध्य है और श्रम से बचना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है। हिन्दी की कठिनाई का तीसरा आधार है उसका व्याकरण। हिन्दी को इस दृष्टि से कठिन कहने वाले वे लोग हैं जो हिन्दीतर भाषा-भाषी है। कुछ लोगों को लिपि के कारण भी हिन्दी कठिन प्रतीत होती है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को लेकर आज तक दो राय नहीं है। संसार में आज जितनी भी लिपियाँ प्रचलित हैं, उनमें देवनागरी सर्वोत्तम मानी जाती है।

"सरलता और शीघ्र सीखने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है।"

-लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

उक्त कथन के अनुसार हिंदी सबसे सरल भाषा है। आमतौर पर हमारे देश में जब-जब हिंदी भाषा के प्रयोग की बात चलती है तब-तब दुर्भाग्य से इस भाषा को दुर्गम और दुर्बोध बताने का

खेल प्रारंभ हो जाता है। हिंदी भाषा को चलन से बाहर रखने के लिए इसे कठिन भाषा बता दिया जाता है। हिंदी भाषा तो सबसे सरल, सुगम और सुबोध है। सही अर्थों में, हम जिस वातावरण के बीच रहना प्रारंभ कर देते हैं, हमें वही वातावरण पसंद आने लगता है। हमारे देश में हिंदी भाषा को तत्कालीन नेताओं और हिंदी से प्रेम रखने वाले महानुभावों के अथक प्रयास से 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया लेकिन, इसके साथ ही अंग्रेजी को 15 वर्ष तक सरकारी कामकाज से न हटाने का आदेश भी आया। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े-लिखे सरकारी कर्मचारी आज भी हिंदी भाषा को हेय दृष्टि से देखते हैं। वह हिंदी भाषा को कठिन बताते हैं और इसीलिए राजभाषा हिंदी को सरल बनाने की बात उठती रहती है।

यह सार्वभौम सत्य है कि भाषा का धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और व्यापार आदि से गहरा संबंध होता है। किसी भी स्थान पर प्रचलित भाषा धीरे-धीरे अपने क्षेत्र की सीमाओं को लांघते हुए आस-पास के क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लेती है। व्यापार एक ऐसा माध्यम है जहां भाषा की प्रधानता अधिक होती है। हमारा देश भारत एक लम्बे समय तक परतंत्र रहा और यहां पर जिन-जिन विदेशी राजाओं-महाराजाओं ने शासन किया, उनकी भाषा का भी यहां पर असर पड़ा। पूर्व में लोकप्रिय भाषाओं में फारसी और अंग्रेजी ने हमारे देश की संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। बहुत लम्बे समय तक हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने से पूर्व फारसी और अंग्रेजी हमारे देश में राजभाषा कही जाती थी। हमारे लिए यह गर्व की बात रही कि सभी शासकों के शासनकाल में हिंदी कहीं भी नहीं पिछड़ी। आजादी की लड़ाई में हिंदी भाषा सर्वमान्य भाषा रही और इसी भाषा के माध्यम से दूर-दराज के क्रांतिकारियों ने आपस में संपर्क साधा, समाचार पत्र निकाले और एक-दूसरे को संदेश दिए।

हिंदी भाषा किसी न किसी रूप में भारत की चारों दिशाओं में विद्यमान रही। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख आंदोलनकारियों का संवाद हिंदी भाषा में ही होता था। हिंदी भाषा को लेकर हिंदी भाषी क्षेत्र में न रहने वाले आंदोलनकारी भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते थे क्योंकि वह यह मानते थे कि एक यही भाषा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और

इस भाषा को सभी लोग आसानी से बोल और समझ लेते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा की लोकप्रियता से नाखुश अंग्रेजी शासन में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी फिर भी, हिंदी भाषा के अस्तित्व को कोई आंच नहीं आई। यह कहा जा सकता है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की जड़ में बीज की तरह शामिल थी और धीरे-धीरे उस बीज ने एक ऐसे वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिसकी शाखाओं ने पूरे राष्ट्र में हिंदी भाषा को कभी न मुरझाने वाला फूल बना दिया।

राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा है लेकिन बहुत से लोग इसको ही राष्ट्रभाषा मानकर चलते हैं। वास्तविकता यह रही कि 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल में नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था। चूंकि उस काल में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करने के साथ-साथ राष्ट्रभाषा का विकास भी प्रमुख बिंदु थे इसलिए बहुत से नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसका प्रचार भी किया। राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संकल्पनाओं के अंतर को इस प्रकार समझा जा सकता है:

अक्सर यह मान लिया जाता है कि हिंदी बोलना आसान है लेकिन लिखना कठिन है। भारत के संविधान में जब हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली तो उसके साथ-साथ अंग्रेजी में भी काम करने की छूट प्रदान की गई। अब हुआ यह कि अंग्रेजी में पहले से तैयार सामग्री का हिंदी में अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया गया जिससे हिंदी के पारिभाषिक शब्दों का ही

प्रयोग होने लगा। चूंकि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से ही हुआ है इसलिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से शब्दों पर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारण राजभाषा को प्राय: जटिल मान लिया जाता है। चूंकि समस्त सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा निगमों और अन्य विभागों को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। अत: मानक हिंदी का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। मानक हिंदी को आसानी से इसलिए परिवर्तित नहीं किया जाता कि फिर कहीं हिंदी की बोधगम्यता ही समाप्त न हो जाए और अर्थ का अनर्थ न हो जाए। फिर भी मानक हिंदी शब्दावली में समय-समय पर कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और ऐसे परिवर्तनों के समय आम भाषा के शब्दों को भी शामिल किया जाता है।

हिंदी बोलचाल की भाषा भी है और सरकारी कामकाज की भाषा भी है, फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। बोलचाल वाले शब्द राजभाषा के प्रयोग में काम में नहीं लिए जाते और लिए भी नहीं जा सकते। समस्या इसी बात को लेकर उत्पन्न होती है। सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग अनिवार्य होते हुए भी मूल रूप से पत्र लिखते समय अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। लिखे गए पत्र में अंग्रेजी के नए शब्दों का समावेश किया जाता है ताकि पत्र अपना अधिकतम प्रभाव छोड़ सके। अंग्रेजी का पत्र बनाते समय भी कभी-कभी तीन-चार या उससे भी अधिक दिन लग जाते हैं। पत्र को भेजते समय वह इसका हिंदी अनुवाद चाहते हैं और प्राय: सरकारी कार्यालयों आदि में तैनात राजभाषा अधिकारी या अनुवादक को वह पत्र हिंदी में अनुवाद हेतु इस आशय के साथ दे दिया जाता है कि अनुवाद तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए। ऐसे में दबाव के चलते अनुवादक पत्र का आशय भी नहीं समझ पाता और शब्दानुवाद करके दे देता है और अंग्रेजी की संरचना को वैसे ही रहने देता है जिसका परिणाम यह मिलता है कि राजभाषा हिंदी कृत्रिम लगने लगती है।

राजभाषा हिंदी को सरल बनाने के लिए उसका प्रचार-प्रसार जितना आवश्यक है, उतना ही इसके प्रति जगह-जगह पर पनप रहे वैमनस्य भाव को दूर करना भी आवश्यक है। चूंकि राजभाषा प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भावना और पुरस्कार जैसे मानदंड अपनाती है और राजभाषा नीति के अनुपालन में दंड का प्रावधान नहीं है। तकनीक के मामले में हिंदी हो या अंग्रेजी एक जैसी योजनाएं बनती हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा में उन्हें पूर्व प्रकाशित सामग्री मिल जाती है। अत: वह उसे ही प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

भाषा किसी भी क्षेत्र की हो, जितना अधिक उसका प्रयोग होगा, उतनी ही वह प्रचारित होगी। हिंदी एक लोकतांत्रिक भाषा है, इसमें संस्कृत, उर्दू, अरबी-फारसी, स्थानीय भाषाओं के शब्दों के साथ-साथ अंग्रेजी के भी बहुत से शब्द समाहित हो गए हैं। दरअसल, यही हिंदी की लोकप्रियता है और इसे ही कमजोरी भी माना जाता है।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग की अपने प्रारंभिक काल और वर्तमान समय से यदि तुलना की जाए तो यह जानकर हर्ष होता है कि आज प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हिंदी के मूल तथ्यों से परिचित है और अपने संस्थानों में वह हिंदी का प्रयोग करने में सक्षम भी है। इसके साथ ही चिंता का विषय यह है कि मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग अभी भी हमारी अपेक्षाओं से कम होता है। बहुत बार हिंदी केवल अनुवाद की भाषा बन जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हिंदी के प्रयोग में वृद्धि हेतु प्रत्येक कार्यालय में उच्चाधिकारी स्वयं पत्रादि में हिंदी भाषा का प्रयोग करें और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों के लिए प्रेरणा बनें। यह प्रयास करना होगा कि हिंदी केवल अनुवाद की भाषा न बने और मूल कामकाज हिंदी में ही हो।

अब सरकार द्वारा विदेशों में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने पर स्वीकृति मिल चुकी है तो इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए हिंदी भाषा को विश्व की सिरमौर भाषा बनाने के सभी प्रयास जारी है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग अपनी ओर से हिंदी भाषा के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, यदि सभी संस्थानों के उच्चाधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्य हिंदी में कार्य करने के प्रति थोड़ी सी और गंभीरता और जागरूकता का प्रदर्शन करें तो निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी और भी सरल बन जाएगी।

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण एवं हिन्दी भाषी है, इस

कारण से आज इनके साथ संवाद स्थापित करने तथा आपस में जोड़ने के लिये प्रशासनिक शब्दों के सरलीकरण की आवश्यकता है। इस पर और ज़ोर दिया जाना चाहिए।

वर्तमान युग डिजिटलीकरण का है। ऐसे में सोशल मीडिया पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जुड़ने का माध्यम बनता जा रहा है। संचार क्रांति के कारण समस्या दर्ज करना, समाधान प्रस्तुतीकरण, सुझाव इत्यादि तेज गति से संभव हो जाता है। राजभाषा हिन्दी को इस डिजिटलीकरण से जोड़ना समय की मांग है।

इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों से राजभाषा हिन्दी को सरल और सहज बनाने की मांग और व्यापक हो गई है। वस्तुतः जनाकांक्षों के दौर में शासन, प्रशासन के कार्यकलाप से लोग वाकिफ हों, उसको समझ सकें, इसके लिये जरूरी है कि प्रशासन और आमजन की भाषा एक हो। भारत में यह कार्य सरल हिन्दी राजभाषा के माध्यम से ही हो सकता है।

सरलीकरण के उपाय - उपर्युक्त विवेचन के बाद हम इस स्थिति में हैं कि राजभाषा हिंदी के सरलीकरण के उपायों पर चर्चा की जाए। राजभाषा के सरलीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने की जरूरत है:

1. **अनुवाद की सही प्रक्रिया –** अनुवाद तीन प्रकार का होता है - गलत अनुवाद, सही अनुवाद और अच्छा अनुवाद। समय चाहे जितना कम हो, गलत अनुवाद कभी भी हमारा विकल्प नहीं होना चाहिए। सही अनुवाद तक पहुंचने के लिए अंग्रेजी पाठ को बार बार पढ़ना, फिर भी शंका रहने पर संबंधित व्यक्तियों से चर्चा करना और फिर कथ्य को ठीक से समझ कर हिंदी भाषा में लिखना आवश्यक है। अच्छा अनुवाद इससे एक कदम आगे जाता है। कथ्य को ठीक से समझकर हिंदी भाषा में लिख देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे हिंदी भाषा में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि पाठक हिंदी में भी वही रवानी महसूस करे, जो अंग्रेजी में करता है और वाक्य पढ़ते हुए उसका अर्थ सीधा संप्रेषित होता जाए तथा पाठक को दुबारा पीछे लौटकर न पढ़ना पढ़े अथवा अंग्रेजी पाठ की शरण में न जाना पड़े। इसके लिए अनुवाद की पुनरीक्षण प्रक्रिया को भी सशक्त बनाना आवश्यक है। पुनरीक्षण के दो चरण होने चाहिए: पहले चरण में अंग्रेजी पाठ से हिंदी पाठ का मिलान हो और फिर अंग्रेजी पाठ को एक किनारे रखकर हिंदी पाठ को संप्रेषणीयता की दृष्टि से पढा जाए और उसमें रवानी लाई जाए, अनावश्यक चीजों को छोड़ा जाए, आवश्यक चीजों को जोड़ा जाए और पाठक के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसका परिमार्जन किया जाए।

2. **द्विभाषीकरण के बजाय हिंदीकरण पर बल –** हम लंबे समय से द्विभाषीकरण की प्रक्रिया अपना रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हिंदीकरण पर बल दिया जाए। हालांकि यह हिंदीकरण अंधाधुंध नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेकपूर्ण से हमारा आशय यह है कि जब हमें पता हो कि (क) जो पाठ हम तैयार कर रहे हैं वह जोखिम रहित है और (ख) जिन लोगों को पढ़ना है वे हिंदी भलीभाँति समझते हैं, तो उसे केवल हिंदी में ही तैयार कर भेजा जाए, उसके साथ अंग्रेजी रूपांतर न रखा जाए। इससे प्राप्तकर्ता को केवल हिंदी में ही पढ़ने का विकल्प होगा और उनमें हिंदी पढ़ने की आदत विकसित होगी। हिंदी में दस्तावेज तैयार करते समय अपनी चिंतन प्रक्रिया को भी हिंदी में ही चलाने की जरूरत है, तभी सरल वाक्य निकलेंगे।

3. **सरलीकरण एक द्विमार्गी प्रक्रिया -** इसी क्रम में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राजभाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया को द्विमार्गी होना होगा- एक ओर लिखने वाले सरलता लाएं, तो दूसरी ओर पढने वाले अपने हिंदी ज्ञान के स्तर में वृद्धि करने का प्रयास करें। भाषा आखिर अभिव्यक्ति के साथ-साथ संप्रेषण भी है और इसलिए सरलता का दायित्व केवल एक पक्ष पर डालकर ही अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता।

4. **जहां विकल्प हो वहाँ सरल पारिभाषिक शब्द चुनें -** जहां तक पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग का प्रश्न है, तो न तो उनसे बचा जा सकता है और न राजभाषा हिंदी की नियोजन प्रक्रिया को अब उल्टा जा सकता है। हां इतना अवश्य है कि यदि पारिभाषिक शब्दों के दो विकल्प उपलब्ध हों, तो सरल विकल्प का प्रयोग किया जाए जैसे, प्राप्तिसूचना और पावती, स्वत्वाधिकार विलेख और हक विलेख, प्रकटीकरण और प्रकटन, क्रेता और खरीदार, कर उद्ग्रहण और कर उगाही आदि शब्दों में से बाद वाले शब्दों के प्रयोग का प्रयास होना चाहिए।

दूसरे, जिन स्थानों पर पारिभाषिक शब्द के बजाय बोलचाल के शब्द के प्रयोग से अर्थ-भिन्नता का कोई जोखिम न हो, वहाँ बोलचाल के शब्द प्रयोग कर लेने चाहिए जैसे अनुदेश की जगह निर्देश, पुनरीक्षित की जगह संशोधित।

5. **औपचारिकता पर बल कम हो -** समय के साथ-साथ सभी भाषाओं में औपचारिकता पर बल घटता जा रहा है और राजभाषा हिंदी को भी इस विश्वव्यापी प्रवृत्ति को अपनाने में परहेज नहीं करना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो बोलचाल के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग राजभाषा में और अधिक होना चाहिए, जैसे - प्रदान कर दिया गया है के स्थान पर दे दिया गया है, प्राप्त हो गया है के स्थान पर मिल गया है, मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ के स्थान पर मैं घोषणा करता हूं, समिति की बैठक में अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय किया गया के

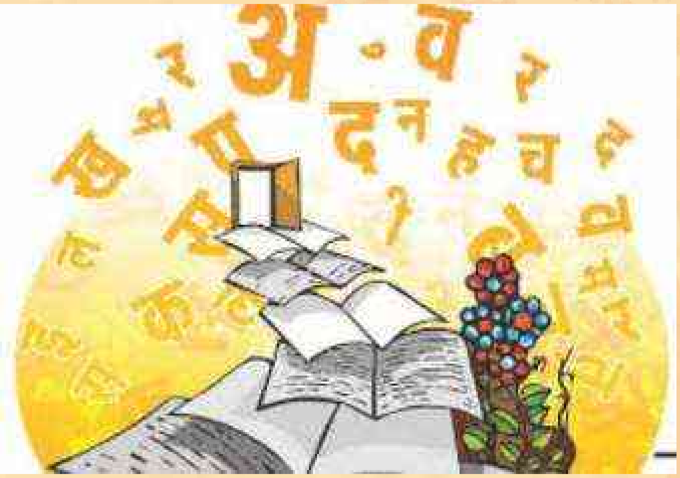

स्थान पर समिति की बैठक में यह भी निर्णय किया गया जैसे प्रयोगों को अपनाने का समय आ गया है। इस प्रकार औपचारिकता घटाने का अर्थ है बोलचाल के भाषाई मुहावरों को अपनाना और अंग्रेजी और विधिक भाषा के वाग्जाल के भीतर से केवल सार को ग्रहण करना। ऐसा करके हम राजभाषा हिंदी के सरलीकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

6. **अन्य भाषाओं के शब्दों के प्रति उदार दृष्टिकोण -** अंग्रेजी के बहुप्रचलित शब्दों को अपनाने तथा किसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर न मिल पाने पर उस अँग्रेजी शब्द को ही लिप्यंतरण के साथ देवनागरी में लिखने का पुराना सुझाव आज भी प्रासंगिक और इसे बार-बार याद दिलाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आज भी लोग कहते है कि हम हिंदी में लिखना शुरू तो करते हैं पर बीच में शब्दों के लिए अटक जाते हैं। इस सुझाव को अपनाने से एक ओर अटकना कम हो जाएगा और दूसरी और पढ़ने वालों को वह सरल लगेगा। साथ ही यदि कठिन उच्चारण वाले हिंदी शब्दों के लिए अन्य भारतीय भाषाओं में आसान उच्चारण वाले शब्द उपलब्ध हों, तो उन्हें अपनाने का हम खुद भी प्रयास करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

7. **राजभाषा हिंदी का व्यापक प्रयोग -** अंत में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि राजभाषा हिंदी का व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाना चाहिए, सही-गलत, कठिन-सरल की चिंता किए बिना। याद कीजिए जब ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली कविता की भाषा बनी थी तो उस पर भी कठिन, दुरूह और नीरस होने के आरोप लगे थे। परंतु जब वह व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगी तो अब वह सबको सरल, सहज और सरस लगने लगती है । ऐसा ही कुछ राजभाषा हिंदी के साथ है। अंग्रेजी भाषा बहुत पुराने समय से कार्यालयीन कामकाज में प्रचुरता से इस्तेमाल हो रही है और सतत इस्तेमाल से इसका स्वरूप निखर कर स्थिर हो गया है और लोग भी मूलतः इसी भाषा में काम करने के अभ्यस्त हैं। इसके विपरीत राजभाषा हिंदी कार्यालयीन कामकाज के लिए अपेक्षाकृत नई भाषा है और अभी भी इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में और प्रायः अनिच्छापूर्वक हो रहा है। अतः यह कहा जाए कि यह निर्माणाधीन भाषा है और व्यापक प्रयोग के पश्चात ही यह छनकर और निखर कर सुघड़ और सरल रूप प्राप्त करेगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

समग्रतः, हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर खुले मन से राजभाषा हिंदी की कठिनता के कारणों को पहचानें, उनके निराकरण के लिए सभी पक्षों को जागरूक करें और उसमें सभी दिशाओं से सरलता लाने के लिए सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करें, तभी राजभाषा को सरल बनाया जा सकेगा।

अजय कुमार
मुख्य प्रबन्धक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

एमएसएमईडी अधिनियम - व्यापक प्रभाव वाला कानून

नया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को क्षेत्रीय जानकारी, डाटा तथा मूल्य वर्धित ज्ञान जैसा सबसे शक्तिशाली उपकरण देकर उम्मीद से कहीं अधिक प्रदान कर रहा है। संसद में लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहने के बाद सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक 16 जून 2006 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया और 2 अक्तूबर 2006 से यह लागू किया गया। इस अधिनियम के पारित होने से समूचे उद्योग क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर खुशी हो भी न क्यों यह छोटा सा कानून भविष्य में 32 लाख से भी अधिक सूक्ष्म और लघु इकाइयों को प्रभावित करने के साथ-साथ 70 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया करने वाला था। इस कानून की सबसे अहम खासियत यह है कि इसने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा ही बदल दी है। सरकार ने पहले की तरह कुल कारोबार और रोजगार के आधार पर नहीं, बल्कि संयंत्रों में किए गए निवेश और उसकी मशीनरी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया।

एमएसएमईडी अधिनियम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएम उद्यमों) के लिए संवर्धन और विकास की सुविधा उपलब्ध करना।

एमएसएमई उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

एमएसएमई उद्यमों में से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करना।

एमएसएमई उद्यमों को लघु उद्योग उपक्रम और सहायक उद्योगों से लाभ के दायरे का विस्तार करना।

एमएसएमईडी अधिनियम 2006

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकरण कराना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए सहायता मुहैया करना और उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

उद्यम की स्थिति निर्धारित करने के लिए एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निम्नलिखित निवेश श्रेणी निर्धारित की गई है:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा		
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
सूक्ष्म उद्योग	सालाना टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम	सालाना टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम
लघु उद्योग	सालाना टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच	सालाना टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच
मध्यम उद्योग	सालाना टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच	सालाना टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच

लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 5 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित सीमा में संयंत्र तथा मशीनरी पर किया गया निवेश उसका वास्तविक मूल्य है, यह जरूरी नहीं कि उसमें लगाई गई मशीनरी नई है या सेकैंड हैंड। आयातित मशीनरी के संबंध में मूल्य की गणना के लिए निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए।

(क) आयात शुल्क (बंदरगाह से कारखाने के स्थान तक परिवहन,

बंदरगाह पर विलंब शुल्क के रूप में भुगतान की जानेवाली राशि जैसे विभिन्न खर्च को छोड़कर)

(ख) जहाज पर परिवहन का शुल्क

(ग) सीमा शुल्क निकासी प्रभार और

(घ) बिक्री कर या मूल्य योजित कर

इसी तरह, अधिसूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार संयंत्र में किए गए निवेश और लगाई गई मशीनरी की गणना करते समय निम्नलिखित को सीमा से बाहर रखा गया है-

(क) इस तरह के उपकरण जैसे - जिग्स, डाइस, मोल्डस और रखरखाव और उपभेज्य दुकानों की लागत के लिए कालपुर्जे,

(ख) संयंत्र और मशीनरी के लिए स्थापना व्यय,

(ग) अनुसंधान एवं विकास उपकरण और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण,

(घ) विद्युत उत्पादन सेट और राज्य बिजली बोर्ड के नियमों के अनुसार उद्यम द्वारा स्थापित अतिरिक्त ट्रांसफार्मर,

(ङ) बैंक प्रभार और राज्य लघु उद्योग निगम के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भुगतान किया गया सेवा शुल्क

(च) खरीद या केबल, तारों, बस के लिए लोहे की छड़ों, बिजली के नियंत्रण पैनल (व्यक्तिगत मशीनों पर ना लगाए गए), तेल सर्किट ब्रेकर या मिनेचर सर्किट ब्रेकर या छोटे सर्किट ब्रेकर जो संयंत्र अथवा को विद्युत आपूर्ति करने के लिए या सुरक्षा उपायों के लिए अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं।

(छ) गैस उत्पादक संयंत्र

(ज) अग्निशमन उपकरण ;

(झ) परिवहन शुल्क (बिक्री कर, अथवा मूल्य वर्धित कर तथा उत्पाद शुल्क को छोड़कर) स्वदेशी मशीनरी के लिए विनिर्माण स्थल से उद्योग के स्थान तक।

(ञ) संयंत्र एवं मशीनरी को कि तरह खड़ा किया जाए, इस बारे में तकनीकी मार्गदर्शन के लिए भुगतान किया गया शुल्क और

(ट) ऐसी भंडारण टंकियाँ, जिनमें कच्चा माल तथा उपयोग में लाए गए उत्पाद संग्रहित किए जाते हैं और वह विनिर्माण प्रक्रिया के साथ जुड़ी ना हो।

इसके अलावा, भूमि, भवन, वाहन, फर्नीचर और भवनों में स्थापित फर्नीचर या वस्तुओं, कार्यालय उपकरणों आदि में किए गए निवेश का संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों की परिधि सीमा निर्धारित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

उद्यमों के सभी वर्गों चाहें वे स्वामित्व हिन्दू अविभाजित परिवारों, लोगों के संघ, सहकारी समिति, साझेदारी फर्म, कंपनी या उपक्रम चाहे वह किसी भी नाम से हो, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और अधिनियम के अंतर्गत मुहैया किए गए लाभों के लिए योग्यता प्राप्त कर सकता है।

वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन का कार्य करने वाले मध्यम उद्योग एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने चाहिए। अन्य उद्योगों के लिए यह स्वविवेक आधारित अथवा वैकल्पिक है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभ विचारार्थ लेने के लिए सिफारिश की जाती है कि हर उद्योग को अननिवार्य रूप से पंजीकरण का विकल्प स्वीकार करना चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीएमएसएमबी)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास कार्यों के दायरे में कई विभागों/मंत्रालयों और केन्द्रीय/राज्य सरकारों के कई संगठनों की सेवाएं शामिल होती हैं। अंतर-संस्थागत जड़ाव को एवं एमएसएमई अधिनियम 2006 के अवलोकन के तहत 47 सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड का गठन किया गया। यह एक सर्वोच्च सलाहकारी मंडल है जिसका गठन सरकार को एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों पर सलाह देने के उद्देश्य से किया गया है। भारत सरकार के

एमएसएमई का प्रभार संभालने वाले मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके मंडल में अन्य राज्य उद्योग मंत्री, संसद के कुछ सदस्य भारत सरकार के विभिन्न विभागों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योग संघों, उद्योग संघों के सचिवों एवं क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह बोर्ड समय-समय पर नीतिगत मामलों से संबंधित मुद्दों का जायजा लेने के लिए बैठकों का आयोजन करता है।

राष्ट्रीय बोर्ड के कार्य

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करने तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- ऊपर निर्दिष्ट विषयों या केन्द्र सरकार की ओर से संदर्भित किए गए किसी अन्य मामले पर सिफारिशें करना।
- एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत गठित निधि या धन के उपयोग पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

सलाहकार समिति

- केन्द्र सरकार के सूलमउ प्रभारी सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में अन्य सदस्यों में :
- केन्द्र सरकार के अधिकतम पांच अधिकारी, राज्य सरकारों के अधिकतम तीन प्रतिनिधि और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संघों के प्रति एक अधिकारी शामिल रहते हैं।

सलाहकार समिति के कार्य

राष्ट्रीय बोर्ड की ओर से भेजे मामलों की जांच करना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, उनका विकास करने तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा को तेज करने के बारे में कार्यक्रम, दिशा-निर्देशों या निर्देशों के वर्गीकरण से संबंधित मामलों के अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम आदि के अंतर्गत तैयार एवं प्रशासित की जानेवाली निधियों और खरीदी वरीयता नीतियों के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देना।

यदि किसी राज्य/राज्यों से संबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुविधा परिषद के गठन अथवा कार्यपद्धति के बारे जानकारी की मांग की जाती है, तो उन राज्य सरकारों को सलाह देना।

पंजीकरण

अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार सूक्ष्म या लघु उद्यम के पंजीकरण की (विनिर्माण अथवा सेवाओं आपूर्ति दोनों) वैकल्पिक है। हालांकि यदि कोई उद्योग विनिर्माण अथवा किसी भी उद्योग आईडीआर अधिनियम 1951 की पहली सूची में उल्लेखित उद्योग से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण और उत्पादन के कार्य में व्यस्त मध्यम उद्यमों को जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक अथवा जिला स्तरीय अधिकारी के समान स्तर के लेकिन विभाग के निदेशालय में कार्यरत अधिकारी को ज्ञापन सौंपना आवश्यक है, जो राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अथवा संघ राज्य प्रशासन के साथ कामकाज करता हो। यह ज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रपत्र "उद्यमी के ज्ञापन" में दर्ज किया जाना चाहिए। यह दो भागों में होता है भाग-1 ओर भाग-2 और यह संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में दायर किया जाना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति, जो सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम में विनिर्माण अथवा सेवा मुहैया करना चाहता हो, उसे ज्ञापन का भाग-1 जमा करना चाहिए, जबकि यदि उद्यम में उत्पादन शुरू होता है या सेवाएं प्रदान करने का कार्य शुरू होता है, तो ज्ञापन का भाग-2 जमा करना चाहिए। उद्यमी ज्ञापन (भाग-1) की वैधता दो वर्ष होती है। इसका किसी भी तरह का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

ऐसी इकाइयाँ, जो वर्तमान में लघु या मध्यम श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनमें यदि निम्नलिखित किसी तरह के परिवर्तन होते हैं, तो उन्हें उद्यमी का ज्ञापन जमा करना आवश्यक हैं -

(क) लघु से मध्यम उद्यम के रूप में दर्जा परिवर्तन के लिए निवेश सीमा की परिभाषा में संशोधन हेतु।

(ख) उद्यम द्वारा यदि विगत में आईईएम दाखिल किया हो, तो निवेश सीमा की परिभाषा में संशोधन के कारण मध्यम दर्जे से लघु दर्जे के रूप में उद्यम के परिवर्तन के लिए।

(ग) यूनिट, पता/स्थान का नाम, जोड़/विलोपन/गतिविधि में परिवर्तन, कार्य की प्रकृति, संविधान की प्रकृति (स्वामित्व / एचयूएफ / भागीदारी / सहकारी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लि. कं / स्वयं सहायता समूह / अन्य) आदि में निवेश या परिवर्तन के तीन महीने के भीतर लिखित रूप से उस के बारे में

जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफल रहना कानून का उल्लंघन है और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 27 में किए गए उल्लेख के अनुसार दंडनीय है।

उद्यमियों ज्ञापन में वर्णित कूट संख्या, जैसे- एनआईसी कोड, एएसआईसीसी कोड, तहसील/तालुका/जिला और राज्य के लिए आबंटित कूट संख्या, एवं जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा भरी जाएगी।

उत्पादों और सेवाओं या उत्पाद या सेवाओं में इसके अलावा उस के परिवर्तन के मामले में पहले ही उद्यमी का ज्ञापन सौंप चुके उद्यमों को परिवर्तन के तीन महीने के भीतर लिखित रूप से जिला उद्योग केन्द्र को सूचित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 27 में निर्दिष्ट के रूप में दंडनीय है।

बढ़ावा और सक्षमीकरण के प्रावधान

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ ही उनके प्रोत्साहन और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए केन्द्र सरकार को कार्यक्रमों अधिसूचित किया जाएगा।
- केन्द्र सरकार को अधिसूचना के जरिए एक या एक से अधिक निधियों का गठन करना चाहिए।
- ऐसी निधि या निधियों में केन्द्र सरकार की ओर से राशि अदा की जानी चाहिए, जिसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से इस बारे में संसद द्वारा किए गए विनियोग के बाद राशि उपलब्ध की जा सकती है।
- केन्द्र सरकार फंड या धारा 9 में वर्णित उद्देश्य के लिए धन प्रशासन और समन्वय करने के साथ संबंधित राशि का उपयोग और उसका निर्गम प्रस्तुत किए जाने वाले मापदंड के अनुसार ही करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

साख

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को साख मुहैया करने से संबंधित नीतियाँ तथा गतिविधियाँ प्रगामी होनी चाहिए तथा वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों या निर्देशों में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुलभ साख सुविधा, उनमें अस्वस्थता की स्थिति में गिरावट लाना और उनके बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि सुनिश्चित करना।

अधिप्राप्ति की नीतियां

केन्द्र या राज्य सरकार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की ओर से उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं अथवा सेवाओं की अपने मंत्रालयों, विभागों अथवा उनके द्वारा अनुदानित संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों (अब तक गैर वैधानिक) के द्वारा अधिप्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं की नीतियों को अधिसूचित करना चाहिए।

केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मान्य।

विलंबित भुगतान की जाँच करने के लिए प्रावधान

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए विलंबित भुगतान से संबंधित प्रावधान को मजबूत बनाया गया।
- खरीदारों की ओर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए किए जाने वाले भुगतान की अवधि घटाकर 45 दिन की गई।
- बकाया राशि पर ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित प्रचलित बैंक दर की तुलना में मासिक आधार पर तीन गुना बढ़ा दी गई है।

- राज्य सरकार के लिए एमएसई सुविधा परिषद (परिषदों) का गठन अनिवार्य बना दिया गया।
- सुविधा परिषद में एमएसई संघों में से एक या एक से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल करने का प्रावधान है।
- राज्य में परिषद का क्षेत्राधिकार सर्वत्र है, जिससे खरीदार चाहे कहीं भी स्थित हो, उसे दायरे में लाया जा सकता है।
- एमएसई सुविधा परिषद सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाओं के लिए किसी भी संस्था या केन्द्र की सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।
- परिषद को सौंपे गए मामले पर निर्णय वह मामला सौंपा जाने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए।
- एमएसई आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले बकाया भुगतान की जानकारी खरीदारों को उनके वार्षिक लेखा विवरण में अनिवार्य रूप से करना होगा।
- आयकर में छूट के लिए ब्याज (आपूर्तिकर्ता को दिए गए या दिया जाने वाले या दिए जा चुके) विचारणीय नहीं है।
- सुविधा परिषद के आदेश के खिलाफ के मामले पर किसी भी न्यायालय में तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक खरीदार द्वारा देय राशि की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया जाता।

- अपीली न्यायालय संबंधित राशि का हिस्सा मध्यम उद्यम के आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

ब्यापार पूर्ति की सुविधा प्रदान करना

केन्द्र सरकार सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम को व्यापार पूर्ति की सुविधा के लिए एक योजना अधिसूचित करेगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 की विशेषताएं

	खंड	विशेषता	प्रभाव
	राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंडल की स्थापना, अधिकतम सदस्य संख्या 47	अनिवार्य तिमाही बैठकों तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट प्रतिनिधित्व	स्वायत्त दर्जा, सुगठित मंडल तथा तिमाही बैठकों में सूलमउ की समस्याओं का प्रकटीकरण, जिससे तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही हो।
	उद्यमों की संकल्पना	विनिर्माण/उत्पादन तथा सेवा आपूर्ति का स्पष्ट सीमांकन	सेवा उद्योगों में आक्रामक प्रवेश के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुविधाएं
	उद्यमों की परिभाषा	मध्यम उद्यमों के लिए विनिर्माण / उत्पादन की विशिष्ट मर्यादा का सीमांकन तथा सेवा उद्योगों की परिभाषा	मौजूदा लघु उद्यमों, मध्यम उद्यम के रूप में परिणत और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

	विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम को तथा सेवा क्षेत्र में मध्यम उद्योगों को ज्ञापन दाखिल करना एच्छिक, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों को अनिवार्य।	ज्ञापन के साथ पंजीकरण का परिवर्तन	सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को सीमा निर्धारण तुरंत बाद अधिनियम के लाभ उठाने की सुविधाएं
		सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की ओर से मुहैया की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से वरीयता नीतियों की अधिसूचना	वस्तुओं/सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए अवसरों की सुविधाएं
	विलंबित भुगतान, जुर्माना एवं विवाद निपटारा	अधिप्राप्ति संगठनों को भुगतान के लिए अवधि 45 दिन, जुर्माना ब्याज पीएलआर के 200 प्रतिशत	सूक्ष्म, मध्यम उद्यम अपने नकद प्रवाह/आर्थिक जरूरतों का नियोजन कर सकते हैं
	विवाद समाधान	सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद की स्थापना, विवाद समाधान के लिए 90 दिन का फ्रेमवर्क	सुलभ वित्तीय नियोजन और पीछा करने/फॉलोअप के लिए मानव संसाधन का अपव्यय नहीं
	आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विलंबित भुगतान - कटौती अनुमति	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती अस्वीकार्य कर लेखा का खंड 17ए	इससे अधिप्राप्ति संगठनों को सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों के भुगतान समय पर करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
	व्यापार समाप्ति	समाप्ति के लिए योजना अपेक्षित अधिसूचना	तरलीकरण सुविधा का विस्तार
	सूक्ष्म, लघु उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए दिशानिर्देशों या निर्देशों की अधिसूचना	अपेक्षित	तेज़ विकास की सुनिश्चिती के लिए सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों के सभी सुविधात्मक विकास के लिए अनिवार्य
	साख सुविधात्मक	अपेक्षित	मुहैया की जाने वाली सभी साख प्रकारों के लिए अनिवार्य, साख के लिए वार्षिक वृद्धि पर 20 प्रतिशत के लिए दिशानिर्देश

श्वेता गंगिरेड्डी
सहायक प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

ईश्वर का अपना देश - 'केरल' बाढ़ से प्रभावित

केरल भारत के राज्यों में "ईश्वर का अपना देश" नाम से जाना जाने वाला जगह है। भारत के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में मलबार तट पर बसा हुआ खूबसूरत प्रकृति ही इसे यह नाम देने की हेतु है। केरल की भूप्रकृति - वन, नदी, पहाड़, पेड़-पौधे, अलग तरीके के जन्तुजाल आदि से संपुष्ट है।

प्रकृति की यह खूबसूरती मानव अधिनिवेश के कारण हमेशा सुस्थिर नहीं देख सकते हैं। ईश्वर का यह अपना देश को इस सदी का सबसे भयावह प्राकृतिक आपादा से लड़ना पड़ा जो बाढ़ के रूप में आया था। बाढ़ तेज़ गति से जल प्रवाह के रूप में आती है। तब सभी घरों, इमारतों, वाहनों, मनुष्यों, पशुओं सभी को बहाकर ले जाती है और उनको नष्ट कर देती है।

केरल में बाढ़ का इतिहास

केरल में सन 1341 में पहली बार बाढ़ आयी थी। इस बाढ़ ने बहुत हानियाँ पहुँचाई। केरल के प्रसिद्ध बंदरगाह मुसिरिस को बर्बाद किया। दूसरी बार आज से करीब 95 वर्षों पहले जुलाई 1924 में बाढ़ आई थी। जिसे '99 की भयावह बाढ़' भी कहा जाता है। इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों ने जल समाधि ले ली थी। हज़ारों घर जमींदोज हो गये थे। हज़ारों लोगों के सर से छत छिन गई थी। केरल को उस आपदा से उबरने में सालों लग गये थे।

1924 की बाढ़ लगातार तीन हफ्ते तक की बारिश से पेरियार नदी में अत्यधिक पानी आ जाने के कारण आयी थी। मुल्लैपेरियार स्लुइस का खोलना भारी मात्रा में पानी राज्य में प्रवेश करने के कारण हुई। मुल्लैपेरियार बांध का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत ने सन 1887 में शुरू करवाया था। मुल्ला और पेरियार नदी के मुहाने से शुरू हुए इस बाँध में 142 फीट पानी है। इसकी देखभाल का अधिकार तमिलनाडु सरकार के पास है। भारी बारिश में केरल के सारे बाँध खोलना पड़ता है और और यही भयावह बाढ़ ले कर आता है।

2018 और 2019 में फिर बाढ़ आने का कारण बारिश है। परन्तु मानव हस्ताक्षेप से टूटा हुआ पश्चिमी घाट का प्रकृति संतुलन एक अनदेखी खास कारण के रूप में नज़र आता है।

बाढ़ आने के कारण

बाढ़ दो प्रकार के कारणों से उत्पन्न होती है। पहला प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है और दूसरा अप्राकृतिक कारणों से होता है।

प्राकृतिक बाढ़

प्राकृतिक बाढ़ के कारण होते हैं - अधिक वर्षा होना, बादल का फटना, हिमालयों से बर्फ का पिघलना, नदियों में उफान आना, समुद्री बाढ़ आदि।

अप्राकृतिक बाढ़

बिना प्राकृतिक कारणों के जैसे बाध का टूटना, वैश्विक तापमान, प्लास्टिक प्रदूषण आदि कारणों से भी बाढ़ आता है।

केरल में बाढ़ अधिक बारिश के कारण आता है। लेकिन कुछ अन्य कारणों को भुल नहीं सकते हैं। वह है बाँध का टूटना, मानव हस्ताक्षेप से प्रकृति का संतुलन टूटना आदि। केरल में इस अगस्त में सबसे भयावह बाढ़ ने ज़बरदस्त कहर बरपाया है। पिछले साल, 2018 में भी 2019 से ज्यादा भयानक बाढ़ ने केरल पर बुरा असर डाला था। कारण जरूरत से अधिक बारिश का होना। इस वर्ष केरल में कई गुणा अधिक बारिश हुई। इतना अधिक पानी को रोकने की या रखने की क्षमता मिट्टी में नहीं होती है।

बाढ़ का प्रभाव

करीब 3.33 करोड़ की आबादी वाले केरल की जनता को बाढ़ ने मुसीबत में डाला दिया। पानी के प्रवाह ने उन्हें घर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। घरेलू जानवर, सामान, खेत, पौधा, सबको बाढ़ बहा ले गया। केन्द्र और राज्य सरकार और समाज सेवी बाढ़ में फँसी बड़ी आबादी को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे।

बाढ़ का असर 14 में से 9 जिलों में अधिक था। इसमें से वयनाड, मलप्पुरम, कोषिकोड, कण्णूर, पालघाट, त्रिशूर और एरणाकुलम जिलों को काफी नुकसान पहुंचा। वयनाड, कोषिकोड और मलप्पुरम में भूस्खलन से भयावह आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी।

बाढ़ के सामान्य दुष्परिणाम

बाढ़ आने पर भी नुकसान होता है और बाढ़ का पानी सूख जाने पर भी नुकसान होता है। बाढ़ के दुष्परिणाम निम्नलिखित है-

1. जन हानि
2. धन हानि
3. फसल का खराब होना
4. जल का प्रदूषित होना
5. बिजली कटौती
6. सड़कों का टूटना
7. चिकित्सा सुविधा का अभाव
8. भोजन का अभाव
9. वनस्पति का नष्ट होना
10. महामारी का खतरा

बाढ़ के कारण केरल में 121 लोगों की जान चली गयी। पिछले साल मौत की संख्या चार गुना ज्यादा थी। दस हज़ार किलोमीटर तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पन्द्रह हज़ार घरों को नये सिरे से बनाना होगा। दो लाख से ज्यादा लोगों को 1318 राहत कैम्पों में रुकना पड़ा।

बाढ़ के दौरान की समस्याओं को लोग झेल चुके हैं लेकिन, सबसे बड़ी मुश्किल अब केरल को पुनः सँवारना है। बाढ़ के दौरान जितनी मुश्किलें होती है, उससे ज़्यादा मुश्किलों का सामना बाढ़ के जाने के बाद करना पड़ता है। बाढ़ का पानी कम होने के बाद जल जनित बीमारियों के साथ ही कई अन्य तरह के रोग फैलने लगते हैं। इसके साथ ही बुनियादी ढाँचों को जल्द से जल्द विकसित करना होता है ताकि जन जीवन सामान्य पटरी पर लौट सके। इसके लिए भारी मानव संसाधन और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है।

बाढ़ आने पर बचाव के उपाय

बाढ़ के पानी से लड़ना आसान नहीं है। इसलिए जब भी घरों में ज़्यादा पानी आने लग जाए तो हमेशा ऊंचे स्थानों की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बाढ़ आने पर उस स्थान का पानी दूषित हो जाता है। इसलिए पानी हमेशा उबालकर पीना चाहिए।

बाढ़ में फंसे होने का संकेत जल्द ही राहत टीम को देना चाहिए। और बाढ़ के समय रेडियो या अन्य प्रसारण के माध्यम से आने वाली प्रशासन की चेतावनी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

गाडगिल रिपोर्ट का महत्व

पर्यावरणविद माधव गाडगिल अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा केरल की और पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। गाडगिल रिपोर्ट में खनन पर प्रतिबन्ध लगाने की सूचना दी थी। पहाड़ी ढलानों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ -पौधे लगाने की सलाह दी गयी थी और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की अनुशंसा की गयी थी। पश्चिमी घाट के 37 प्रतिशत हिस्से को परिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील करार देने को कहा गया था। उनकी राय में आज केरल में हुई समस्याओं का कारण मानव निर्मित है।

इससे समझा जा सकता है कि वनों पर किस हद तक कुल्हाड़ियाँ चलाई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पेड़-पौधे पानी को रोकने का काम करते हैं। अगर वनों का कटाव इस स्तर तक नहीं किया गया होता, तो बाढ़ का असर कुछ कम होता।

बाढ़ नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

केरल आपदा प्रबंधन नियोग, केरल पुलिस, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, नागरिक स्वयं सेवक, तटदेश का मछुआरों, तटरक्षक बल आदि सभी ने बचाव अभियान में सक्रिय साझेदारी दी। इन लोगों के ईमानदार प्रयत्न से हज़ारों लोगों की जान बचाई जा सकी।

बरसात के दिनों में प्रशासन द्वारा समय-समय पर चेतावनी जारी की जाती है कि भारी बारिश होने के आसार हैं और बाढ़

आ सकती है। लेकिन कुछ लोग इन चेतावनियों को नज़र अंदाज कर देते हैं। जिसके कारण वह अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की आरे नहीं जाते हैं। और बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए और जहां पर हर साल बाढ़ आती है उन इलाके के लोगों को अपने घरों में एक रेडियो ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तब बिजली कटौती हो जाती है। और सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं अभियान की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो का उपयोग कर सकते हैं।

केरल में आयी बाढ़ को जानने पर मनुष्य जनित कारण सामने आते हैं। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि एहतियाती कदम अभी से उठाए जाएँ, ताकि भविष्य में बाढ़ आये भी तो नुकसान कम से कम हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी है विकास के उस योजना को अपनाना जो पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़- पौधे लगाए जाने चाहिए और इसके साथ ही प्रकृति के मूल चरित्र को अक्षुण्ण रखने की भी आवश्यकता है। हम सब मिलजुलकर पर्यावरण से मानव द्वारा की गयी सारी बर्बादियों को खत्म करना है।और केरल को यानि “ईश्वर का अपना देश” को फिर से पहले की तरह ईश्वर का वास स्थान बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि आज का ज़माना ही नहीं बल्कि आनेवाले कल भी इस धरती की खूबसूरती का गवाह बन सकें। चलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम पर ऐसी मुसीबत पुनः न आए।

अखिल एस एल
लिपिक
आट्टुकाल शाखा

विभिन्न अंचल कार्यालयों को विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से प्राप्त पुरस्कार

मदुरै

कोलकाता

हुबली

मुंबई

एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी समस्याएँ एवं समाधान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विश्वभर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। दुनिया के कई देशों में इस क्षेत्र के विकास संबंधी और सभी सरकारी कार्यों का समन्वय की देखरेख के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में एसएमई विकास एजेंसी की स्थापना की गई है।

भारत के मामले में भी मध्यम उद्योग स्थापना को एक अलग नियम के अन्तर्गत परिभाषित किया जाता है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 जो 02 अक्टूबर 2016 से लागू हो गया है। विकास आयुक्त का कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अन्तर्गत एक नोडल विकास एजेन्सी (एमएसएमई) के रूप में कार्य करता है। वैश्विक स्तर पर, एमएसएमई को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में मान्यता प्राप्त है। सकल घरेलू उत्पाद में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से छोटी कंपनियों का समग्र योगदान है और मध्य तथा उच्च आय वाले समूह देशों में रोजगार का स्तर निम्न रहता है। जैसे-जैसे आय बढ़ती है वो अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बनने लगता है और इससे औपचारिक एसएमई क्षेत्र में वृद्धि होती है। बांग्लादेश के सभी औद्योगिक इकाइयाँ 90 फीसदी से अधिक रोजगार उपलब्ध करती है। एसएमई का वास्तविक महत्व चीन में देखा जा सकता है जहाँ एसएमई निर्यात में 68 फीसदी का योगदान देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में एसएमई भी भूमिका और प्रदर्शन, पिछले छः दशकों के दौरान भारतीय लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एसएमई ने न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में

अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में भारी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एसएमई ग्रामिण क्षेत्रों में औद्योगीकरण में भी मदद की है। लघु और मध्यम उद्यम पूरक इकाइयों की तुलना में बड़े उद्योग है और यह क्षेत्र देश के समाजिक और आर्थिक विकास में काफी योगदान देते हैं। आज इस क्षेत्र में 36 लाख इकाइयाँ हैं जो 80 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। यह क्षेत्र 6000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से कुल विनियमों उत्पादन में 45 प्रतिशत और देश के निर्यात में 40 प्रतिशत के योगदान देने के अलावा सकल घरेलू उत्पादन में भी लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है। एसएमई क्षेत्र के पास देश भर के औद्योगिक विकास का प्रसार करने की क्षमता होने के साथ-साथ देश में समावेशी विकास की प्रतिक्रिया एक बड़ा योगदान देने की भी क्षमता है। घरेलू उत्पादन महत्वपूर्ण निर्यात आय, कम निवेश आवश्यकताएं, परिचालनात्मक लचीलापन, स्थान संबंधी गतिशीलता, कम गहन आयात, उचित घरेलु तकनीक विकसित करने के लिए क्षमता, आयात, प्रतिस्थापन, रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी की दिशा में प्रतिस्पर्धा और ज्ञान तथा प्रशिक्षण प्रदान करके निर्यात बाजार द्वारा नए उद्यमियों के निर्माण के माध्यम से योगदान देकर एसएमई राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने अदम्य उत्साह और विकास की अंतनिर्हित क्षमताओं के बावजूद, एसएमई भारत में कई तरह की ससमस्याओं का सामना कर रहा है जैसे :-

- उत्पादन का छोटा पैमाना
- पुरानी तकनीक का इस्तेमाल
- आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएं बढती हुई
- घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
- कार्यरत पूँजी की कमी
- समय पर बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से व्यापार प्राप्त नहीं होना।
- अपर्याप्त कुशल कार्यशक्ति

इस तरह के मुद्दों के साथ बने रहने तथा बड़े और वैश्विक उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एसएमई को अपने अभियान में नवीन दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

एमएसई क्षेत्र की आपूर्ति को बढ़ाने और उसे समर्थन करने के लिए यह एक पुनर्वित कार्यक्रम संचालित करता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए भारत के पहले सेंटिमेंट सूचकांक क्रिसिडेक्स को क्रिसील और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित करता है।

देश में एमएसएमई घटक की बारीकी से निगरानी करने के लिए ट्रासयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने एमएसएमई क्रेडिट गतिविधि पर तिमाही रिपोर्ट एमएसएमई पल्स आरंभ की है। यह रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग प्रणाली में औपचारिक क्रेडिट तक पहुँच रखने वाले और चालू ऋण सुविधा प्राप्त पचास लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई इकाईयों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है।

सिडबी ने एमएसएमई को क्रेडिट और हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। भारत में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार को लोगों को अपनाने को प्रेरित करने के लिए स्वावलंबन एवं बेचैन सपनों का पंख नामक देशव्यापी मुहिम चलाया है। ताकि देश में उद्यमों को बढ़ावा मिले और लोग रोजगार मांगने की बजाय रोजगार उत्पन्न करने के लिए उन्मुख हो :

एमएसएमई अधिनियम 2006 :

- सूक्ष्म उद्योग - 25 लाख रूपए अधिक नहीं
- लघु उद्यम - 25 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ से कम
- मध्यम उद्यम - 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम
- सेवा क्षेत्र (कुल संपति)
- सूक्ष्म उद्यम - 10 लाख रुपए से अधिक नहीं
- लघु उद्यम - 10 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ से कम
- मध्यम उद्यम - 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम

इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एमएसएमई की भूमिका राष्ट्र के विकास में अहम योगदान है।

प्रवीण कुमार
सहायक प्रबन्धक
जोड़ा शाखा

मजेदार चुटकुले

शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय

शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय (15 सितम्बर, 1876 -16 जनवरी, 1938) बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघुकथाकार थे। इनका नाम बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकारों में शामिल है। उनकी अधिकांश कृतियों में गाँव के लोगों की जीवनशैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। शरतचन्द्र भारत के सार्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सर्वाधिक अनूदित लेखक है। वे यथार्थवाद को लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। बांग्ला साहित्य में यह लगभग नई चीज थी। उन्होंने अपने लोकप्रिय उपन्यासों एवं कहानियों में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। इनकी प्रतिभा उपन्यासों के साथ-साथ इनकी कहानियों में भी देखने योग्य है। उपन्यासों की तरह उनकी कहानियों में भी मध्यवर्गी समाज का यथार्थ चित्र अंकित है।

शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुगली जिले के देवानन्दपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मतिलाल था। उनका बाल्यकाल देवानन्दपुर में तथा कैशोर्य भागलपुर (ननिहाल) में व्यतीत हुआ। पाँच वर्ष की अवस्था में ही देवानन्दपुर के 'प्यारी पंडित की पाठशाला' में इनका दाखिला कराया गया। नाना केदारनाथ गांगुली का आदमपुर में अपना मकान था और उनके परिवार की गिनती सभ्रांत बंगाली परिवार के रूप में होती थी।

पिता मतिलाल बेफिक्र स्वभाव के थे और किसी नौकरी में टिक पाना उनके वश की बात नहीं थी। परिणामस्वरूप परिवार गरीबी के गर्त में चला गया और उन्हें बाल बच्चों के साथ देवानन्दपुर छोड़कर अपने ससुराल में (भागलपुर) रहना पड़ा। इस कारण शरतचन्द्र का बचपन भागलपुर में गुजरा और पढ़ाई-लिखाई भी यहीं हुई।

गरीबी और अभाव में पलने के बावजूद शरतचन्द्र जी दिल के आला और स्वभाव के नटखट थे। वे अपने समवयस्क मामाओं और बाल सखाओं के साथ खूब शरारातें किया करते थे। कथाशिल्पी शरतचंद्र के प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकान्त, सत्यसाची, दुर्दान्त राम आदि के चरित्र को झांके तो उनके बचपन की शरारतें सहज दिख जाएंगी। जब शरत भागने लायक उम्र के हुए तो जब-तब पढ़ाई-लिखाई छोड़कर भाग निकलते थे। इसपर कोई विशेष शोर नहीं मचता था, पर जब वह लौटकर आते तो उनपर मार पड़ती थी।

सन् 1883 में शरतचन्द्र का दाखिला भागलपुर दुर्गाचरण एम.ई. स्कूल की छात्रवृति क्लास में कराया गया। छात्रवृत्ति पाकर शरतचन्द्र ने टी. एन. जुबिली कालेजिएट स्कूल में प्रवेश किया। उनकी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकसित होती गयी। 1893 ई. में हुगली स्कूल के विद्यार्थी रहने के समय उनकी साहित्य-साधना का सूत्रपात हुआ। 1894 ई. में उन्होंने एन्ट्रेन्स परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी समय भागलपुर की साहित्य-सभा की उन्होंने स्थापना की। सभा का मुखपत्र हस्तलिखित मासिक पत्र 'छाया' थी। इन्हीं दिनों उन्होंने "बासा" (घर) नाम से एक उपन्यास लिख डाला, पर यह रचना प्रकाशित नहीं हुई। उनकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही रह गई।

कॉलेज त्यागकर 1896 ई. से लेकर 1899 ई. तक शरतचन्द्र भागलपुर शहर के आदमपुर क्लब के सदस्यों के साथ खेलकूद एवं अभिनय कर समय काटते रहे। इसी समय बिभूतिभूषण भट्ट के घर से उन्होंने एक साहित्यसभा का संचालन किया जिसके फलस्वरूप उन्होंने 'बड़दिदि', 'देबदास', 'चन्द्रनाथ', 'शुभदा' इत्यादि उपन्यास एवं 'अनुपमार प्रेम', 'आलो ओ छाया', 'बोझा', 'हरिचरण' इत्यादि गल्प की रचना की। इसी समय उन्होंने 'बनेली एस्टेट' में कुछ दिन नौकरी की। किन्तु 1900 ई. में पिता के ऊपर किसी कारण नाराज होकर वे सन्यासी वेष में घर छोड़ चले गए। इसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गयी और उन्होंने भागलपुर वापस आकर पिता का श्राद्ध किया और उसके बाद 1902 ई. में अपने मामा लालमोहन गंगोपाध्याय के पास कलकत्ता आ पहुँचे जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील थे। उनके ही घर रहकर वे हिन्दी पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद करने लगे जिसके लिए उन्हें तीस रूपए प्रतिमाह मिलते थे। इसी समय उन्होंने 'मन्दिर' नाम का एक गल्प लिखकर 'कुन्तलीन' नामक प्रतियोगिता में भेजा जिसमें वे विजयी घोषित हुए।

छः मास लालमोहन गंगोपाध्याय के घर रहने के बाद शरतचन्द्र 1903 ई. के जनवरी मास में रंगून में लालमोहन गंगोपाध्याय के बहनोई वकील अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर चले आए। अघोरनाथ ने उनके लिए बर्मा रेलवे के ऑडिट ऑफिस में एक अस्थायी नौकरी की व्यवस्था कर दी। इन दिनों उनका संपर्क बंगचंद्र नामक एक व्यक्ति से हुआ जो था तो बड़ा विद्वान पर शराबी और उच्छृंखल था। यहीं से चरित्रहीन का बीज पड़ा, जिसमें मेस जीवन के वर्णन के साथ मेस की नौकरानी (सावित्री)

से प्रेम की कहानी है। दो वर्ष वह नौकरी करने के बाद वे उनके बन्धु गिरीन्द्रनाथ सरकार के साथ पेगु चले गए और वहाँ अबिनाश चट्टोपाध्याय के घर निवास किया। 1906 ई. के अप्रैल मास में बर्मा के पब्लिक वर्क्स एकाउण्ट्स ऑफिस के डिप्टी एग्जामिनर मणीन्द्रनाथ मित्र की सहायता से शरतचन्द्र रंगून के इस ऑफिस में नौकरी पा गए और आगे के दस वर्ष यह नौकरी करते रहे।

1912 ई के अक्टूबर मास में शरतचन्द्र एक मास की छुट्टी लेकर घर लौटे तो 'यमुना' नामक पत्रिका के सम्पादक फणीन्द्रनाथ पाल ने अपनी पत्रिका के लिए उनसे लेख भेजने का अनुरोध किया। उसके अनुसार रंगून वापस जाने के बाद शरतचन्द्र ने 'रामेर सुमति' नामक कहानी भेजी जो यमुना पत्रिका में बंगाब्द 1913 के फाल्गुन और चैत्र अंक में प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने 'भारतवर्ष' नामक पत्रिका के लिए भी लेख भेजना शुरू किया। फणीन्द्रनाथ पाल ने उनका 'बड़ दिदि' नामक उपन्यास पुस्तक रूप में प्रकाशित किया (1913ई.)। यह शरत की प्रथम मुद्रित पुस्तक है। एमसी सरकार और संस तथा गुरुदास चट्टोपाध्याय एंड संस ने उनके उपन्यासों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया।

1915 ई. में शरत का 'यमुना' पत्रिका से सम्बन्ध-विच्छेद हुआ और इसके उपरान्त वे नियमित रूप से 'भारतवर्ष में लिखने लगे। 1916 ई. में छुट्टी को लेकर हुए मनोमालिन्य के कारण शरतचन्द्र नौकरी त्याग कर रंगून से घर वापस आ गए और वाजे-शिवपुर में रहने लगे।

बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास 'श्रीकान्त' लिखना शुरू किया। जो 1917 ई. में प्रकाशित हुआ।

1921 ई. में उन्होंने कांग्रेस के आन्दोलन में योगदान किया। 1922 ई. में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 'श्रीकान्त' (प्रथम पर्व) का अंग्रेज़ी रूपान्तर प्रकाशित हुआ। इसके बाद से शरत के यश में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। अनेक सभाओं तथा संस्थाओं के वे अध्यक्ष तथा मान्य सदस्य बनाये जाने लगे। 1936 ई. में ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें आनरेरी डी. लिट. की उपाधि प्रदान की। अपने जीवन के उत्तर काल में शरत रवीन्द्रनाथ के भी स्नेह तथा प्रशंसा के भागी रहे।

16 जनवरी 1938 ई. को कलकत्ता पार्क नर्सिंग होम में 62 वर्ष की अवस्था में शरतचन्द्र का निधन हुआ। शरत के उपन्यासों के कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। इनकी रचनाओं में उनके पुरुष पात्रों से उनकी नायिकाएँ अधिक ताक़तवर हैं। शरतचंद्र की जनप्रियता उनकी कलात्मक रचना और नपे तुले शब्दों या जीवन से ओतप्रोत घटनाओं के कारण नहीं हैं बल्कि उनके उपन्यासों में नारी जिस प्रकार परंपरागत बंधनों से छटपटाती नज़र आती हैं, जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के संबंधों को एक नए आधार पर स्थापित करने के लिए पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरतचंद्र को लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाएं दिल को छू जाती हैं। पर शरत साहित्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमें समाज के संघर्ष, शोषण आदि पर कम प्रकाश पड़ता है। पल्ली समाज में समाज का चित्र कुछ-कुछ सामने आता है। महेश आदि कुछ कहानियों में शोषण का प्रश्न उभरकर आता है। शरतचंद्र ने उपन्यासों के अतिरिक्त नाटक, गल्प और निबन्ध भी लिखे।

शरतचन्द्र ने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें पंडित मोशाय, बैकुंठेर बिल, मेज दीदी, दर्पचूर्ण, श्रीकान्त, अरक्षणीया, निष्कृति, मामलार फल, गृहदाह, शेष प्रश्न, दत्ता, देवदास, बाम्हन की लड़की, विप्रदास, देना पावना आदि प्रमुख हैं। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर "पथेर दावी" उपन्यास लिखा गया। पहले यह "बंग वाणी" में धारावाहिक रूप से निकाला फिर पुस्तकाकार छपा तो तीन हजार का संस्करण तीन महीने में समाप्त हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया।

शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय वैसे तो स्वयं को बंकिमचन्द्र चटर्जी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य से प्रेरित बताते थे लेकिन उनके साहित्य ने समाज के निचले तबके को पहचान दिलाई। यही नहीं, उन्हें उनके इसी दुस्साहस के लिए समाज के रोष का पात्र भी बनना पड़ा। 'चरित्रहीन' को जब उन्होंने लिखा था तब उन्हें

शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय का पैतृक घर

काफी विरोध का सामना करना पड़ा था क्योंकि उसमें उस समय की मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती दी गयी थी। उन्होंने सुन्दरता की जगह कुरूपता को अधिक प्रमुखता दी और इसी कारण उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक लगती हैं। कहा जाता है कि उनके पुरुष पात्रों से उनकी नायिकाएँ अधिक बलिष्ठ हैं। शरतचन्द्र की जनप्रियता उनकी कलात्मक रचना और नपे तुले शब्दों या जीवन से ओतप्रोत घटनावलियों के कारण नहीं है बल्कि उनके उपन्यासों में नारी जिस प्रकार परंपरागत बन्धनों से छटपटाती दृष्टिगोचर होती है, जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के सम्बन्धों को एक नए आधार पर स्थापित करने के लिए पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरत को जनप्रियता मिली। उनकी रचना हृदय को बहुत अधिक स्पर्श करती है।

शरत बाबू ने समाज द्वारा अनसुनी रह गई वंचितों की विलख-चीख और आर्तनाद को परखा और यह जाना कि जाति, वंश और धर्म आदि के नाम पर एक बड़े वर्ग को मनुष्य की श्रेणी से ही अपदस्थ किया जा रहा है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इस षड्यन्त्र के अन्तर्गत पनप रही तथाकथित सामाजिक 'आम सहमति' पर रचनात्मक हस्तक्षेप किया, जिसके चलते वह लाखों करोड़ों पाठकों के चहेते शब्दकार बने। नारी और अन्य शोषित समाजों के धूसर जीवन का उन्होंने चित्रण ही नहीं किया, बल्कि उनके आम जीवन में आच्छादित इन्द्रधनुषी रंगों की छटा भी बिखेरी। प्रेम को आध्यात्मिकता तक ले जाने में शरत जी का विशेष योगदान है।

उनके कुछ उपन्यासों पर आधारित हिन्दी फिल्में भी कई बार बनी हैं। इनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर देवदास फ़िल्म का निर्माण तीन बार हो चुका है। पहली देवदास कुन्दन लाल सहगल द्वारा अभिनीत, दूसरी देवदास दिलीप कुमार, वैजयन्ती माला द्वारा अभिनीत तथा तीसरी देवदास शाहरुख़ ख़ान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय द्वारा अभिनीत। इसके अतिरिक्त 1974 में चरित्रहीन, परिणीता-1953 और 2005 में भी, बड़ी दीदी (1969) तथा मँझली बहन, आदि पर भी चलचित्रों के निर्माण हुए हैं।

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी को जगत्तारिणी गोल्ड मेडल (कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1923), मानद डी.लिट. (ढाका विश्वविद्यालय, 1936), कुंतोलिन पुरस्कार प्राप्त हुए।

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के कई रचनाओं का कई भारतीय भाषाओं में पचास फिल्मों में रूपान्तरण हुआ हैं। विशेष रूप से, उनके उपन्यास देवदास को सोलह संस्करणों में बनाया गया है तथा परिणीता को बंगाली, हिंदी और तेलगु में दो बार बनाया

(शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय (बाएं से प्रथम) और सुरेन्द्रनाथ राय 1927)

गया है। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा 1967 में निर्मित मझली दीदी तथा स्वामी (1977) को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक और प्रसिद्ध फिल्म छोटी बहू (1971) अपने उपन्यास बिंदुर छेले पर आधारित है। उनके उपन्यास 'दत्ता' को बंगाली फिल्म (1976) में सुचित्रा सेन और सौमित्र चटर्जी की प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय किया गया था।

उनके उपन्यास पर आधारित अन्य फिल्मों में निष्कृति और अपना पराया (1980) हैं, जो अमोल पालेकर मुख्य भूमिका में हैं। तेलुगू फिल्म थोड़ी कोडल्लू (1957) भी इस उपन्यास पर आधारित है। गुलजार की 1975 की फ़िल्म, खुशबू उनकी रचना पंडित मोशाय से प्रेरित है। आचार्य अत्रेय द्वारा 1961 तेलुगु फिल्म वाग्दानम उनके उपन्यास दत्ता पर आधारित है। इसके अलावा 2011 की फिल्म आलो छाया उनकी छोटी कहानी, आलो ओ छाया पर आधारित है।

ओमप्रकाश वर्मा
प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

महिलाओं के आर्थिक उत्थान में एमएसएमई ऋणों का महत्व

"स्त्री की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर करती है" - अरस्तू

एक समय था जब स्त्रियों को केवल घरेलू कार्यों के योग्य ही समझा जाता था। पुरुष प्रधान समाज में आर्थिक स्थिति केवल पुरुषों पर ही निर्भर थी। किन्तु आज के बदलते परिवेश में बढ़ती मंहगाई ने स्त्री एवं पुरुष दोनों को रोजगार करने पर मजबूर कर दिया है। लोगों में जागरूकता आई है, स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। स्त्रियाँ के प्रति समाज में व्याप्त हीन भावना अब वैसी नहीं रही है। स्त्रियों को समान अवसर प्राप्त हैं। भारतीय संविधान स्त्रियों को हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर प्रदान करता है। स्त्रियाँ विभिन्न रोजगारों के माध्यम से अपने परिवार की आय में वृद्धि करती हैं जिससे उनके परिवार को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्ति मिलती है। निसंदेह, परिवार की आर्थिक उन्नति परिवार की खुशियों को बढ़ा देती है।

भारत प्राचीनकाल से ही अपने उद्यमों के लिए जाना जाता है। एक समय था जब भारत के गाँवों को सम्पूर्ण इकाई माना जाता था। भारत की कुशल कारीगरी विश्वप्रसिद्ध थी। यहाँ की पंचतोरिया(पाँच तोले सोने से निर्मित) साड़ी का विश्वभर में कोई सानी नहीं था। लोहे का प्रयोग भारतीय तबसे करते आ रहे हैं जब विश्व में केवल गिने चुने लोग ही लोहे के बारे में जानते थे। लोहे के साथ-साथ अन्य धातुओं एवं उनसे वस्तुओं का निर्माण एवं उपयोग भारत में प्राचीनकाल से ही होता आया है। यहाँ तक कि पारे जैसे असामान्य और खतरनाक धातु का जैसा प्रयोग भारत में होता था वह आज भी विश्व में कहीं नहीं पाया जाता । सूती वस्त्र, रेशम/सिल्क वस्त्र यहाँ की प्रमुख विशेषता रहे हैं। मुगल काल में ऊनी शॉल उद्योग, कालीन उद्योग, काष्ठ उद्योग, चमड़ा उद्योग, स्वर्ण/रजत उद्योग, चीनी उद्योग एवं हाथी दाँत उद्योग बहुत विकसित अवस्था में थे।

सन् 1616 ई. से 1619 ई. के भारत के लिए टेरी ने लिखा है, "रंग और छापे का काम भी भारत में इस समय श्रेष्ठ था। पक्के रंगों का प्रयोग किया जाता था और सुंदर चित्र एवं बेल-बूटे बनाए जाते थे । यद्यपि सूती कपड़े की तुलना में रेशमी कपड़े की बुनाई का काम कम होता था, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण हस्तकला उद्योग था।" 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत के बारे बर्नियर एक विशेष स्थान जिसे वह 'कारखाने' की संज्ञा देते हैं, का विवरण देते हैं, "एक बड़े कमरे में निपुण कार्यकर्ता की निगरानी में कढ़ाई करने वाले व्यस्त हैं, दूसरे में सुनार, तीसरे में चित्रकार, चौथे में रंगरेज, पांचवे में बढ़ई, खरादी, दर्जी एवं मोची, छठे में रेशम, जरी और बारीक मलमल के कारीगर।" उनके अनुसार, "भारत को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं था, जहां इतनी तरह-तरह की वस्तुएँ पाई जाती हों।"

अंग्रेजों ने जब भारतीय कपड़े को इंग्लैंड ले जाना प्रारंभ किया तो भारत के उन्नत दर्जे के कपड़े ने वहाँ के कपड़ा उद्योग का अस्तित्व ही संकट में डाल दिया रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक डेनियल डैफी लिखते हैं, "भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों और बेडरूम में घुस गया है। पर्दे, गद्दे, कुर्सियों और बिस्तर के रूप में और कुछ नहीं मात्र केलिको या भारतीय समान है।" भारतीय सामानों और उद्योगों का सामना न कर पाने पर उनपर अंकुश लगाने के लिए जो प्रयास किए गए उन्हें एक अंग्रेज़ अधिकारी ट्रेवेलियन के अनुसार, "व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग की 235 से भी अधिक वस्तुओं पर अंतर्देशीय कर लगाए गए।"

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय उद्योग धंधों का विकास एक अनिवार्य और चुनौतीपूर्ण कार्य था। कुछ विशेष व्यक्तियों ने औद्योगिक विकास के रथ का संचालन करने का दायित्व संभाला, आज उनका परिवार औद्योगिक घरानों के रूप में जाना जाता है। गांधी जी अपनी दूरदर्शिता से भाँप गए थे कि, "भारत शहरों में नहीं गाँवों में बसता है" उनके अनुसार स्वदेशी वस्तुएँ और रोजगारपरक शिक्षा भारत के नवनिर्माण की आधार थी। वे कौशल विकास को शिक्षा से जोड़ने के पक्ष में थे। छोटे-छोटे उद्योगों के लगाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता थी वह इन उद्योगों के लगाने व चलाने वालों के पास नहीं थी। ऐसे में बिना सरकारी सहायता के इन उद्योगों का फलना-फूलना अत्यंत दुष्कर था। खादी और ग्रामोद्याग आयोग जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के

प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, गांधी जी सपनों के भारत को साकार करने में सतत प्रयासरत है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा खादी ग्राम और कायर उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:

- बाज़ार संवर्धन और विकास स्कीम (एमपीडीए)
- परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए पुनरूद्धारित निधि स्कीम (स्फूर्ति)
- कयर विकास योजना (सीवीवाई)
- कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस)
- कयर के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी)
- कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई)
- निर्यात बाजार संवर्धन (ईएमपी)
- घरेलू बाजार संवर्धन स्कीम (डीएमपी)
- व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं (टीआईआरएफएसएस)
- कल्याण उपाय (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:

सूक्ष्म उद्यम : इन्हें कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। वर्तमान में जिन विनिर्माण तथा सेवा उद्योगों का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें सूक्ष्म उद्यम माना जाता है।

लघु उद्यम : जिन विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के मध्य है, उन्हें लघु उद्यम माना जाता है।

मध्यम उद्यम: जिन विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों का वार्षिक टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के मध्य है, उन्हें मध्यम उद्यम माना जाता है।

वर्तमान में भारत के कुल निर्यात का 45% भाग एमएसएमई का ही होता है। एमएसएमई ही वह क्षेत्र है जिसने ग्रामीणों एवं अल्पविकसित नगरों में रोजगार के साधन सुलभ कराए हैं और वहाँ के निवासियों का पलायन रोका है। वर्तमान में युवा पारंपरिक रोजगारों के साथ-साथ ऑटोपार्ट्स निर्माण इकाई, फार्मा, फुटवेयर निर्माण, केमिकल्स निर्माण आदि से जुड़ रहे हैं। छोटे-छोटे नगरों में ऐसी उद्योग इकाइयों की स्थापना एवं संचालन को सहयोग देने के लिए विभिन्न बैंकों से उचित एवं आकर्षक ब्याज दरों पर प्रतिभूति मुक्त या बहुत ही कम प्रतिभूति पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं इसके साथ-साथ विभिन्न सेवा प्रदाता इकाइयों जैसे अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, सर्विस सेंटर इत्यादि के लिए भी विभिन्न वर्गों में ऋण की आसान व्यवस्था की गई है। इनमें महिलाओं एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। कुछ ऋण योजनाओं में महिला आवेदकों के लिए ब्याज में रियायत की पेशकश भी की जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ योजनाओं में सब्सिडी भी जाती है। कुछ योजनाएँ प्रमुखतः महिलाओं के लिए हैं जैसे महिला कॉयर योजना। इसके साथ ही ऋण प्रक्रिया आसान बनाया गया है ताकि नवीन उद्यमियों को अधिक समस्याएँ न आएं और वे महाजनों या अन्य धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के चंगुल में न फँसें। एमएसएमई ने हर वर्ग, हर क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। आधुनिक महिलाएं उद्यम लगाकर अनेक महिलाओं एवं पुरुषों के लिए रोजगार सृजित करती हैं।

कुलवेन्द्र सिंह
प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
(बैंक व वि सं.) के तत्वावधान में दिनांक
19.11.2019 को कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित
स्मरण शक्ति प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न बैंकों
व वित्तीय संस्थाओं से आए प्रतिभागियों को
प्रोत्साहित करते हुए श्री पी. सी दाश,
महाप्रबंधक(मासंप्र व राभा), इंडियन बैंक

चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
(बैंक व वि सं.) के तत्वावधान में
दिनांक 19.11.2019 को कॉर्पोरेट कार्यालय
में आयोजित स्मरण शक्ति
प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न बैंकों व
वित्तीय संस्थाओं से आए
प्रतिभागियों को प्रतियोगिता से संबंधित
नियम समझाते हुए
श्री अजय कुमार, सदस्य सचिव,
नराकास व मुख्य प्रबंधक(राभा),
इंडियन बैंक

चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन
समिति(बैंक व वि सं.) के तत्वावधान में
दिनांक 19.11.2019 को कॉर्पोरेट
कार्यालय में आयोजित स्मरण शक्ति
प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न बैंकों व
वित्तीय संस्थाओं से आए प्रतिभागीगण

मुद्रण दिनांक : 24.12.2019